सहज™

चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2016-2017

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

दुग्ध उत्पादकों की अपनी कम्पनी

निदेशक मण्डल

श्री महेश चन्द्र (डी.आई.एन. 06965523)	अध्यक्ष एवं निदेशक
श्री दिग्विजय सिंह (डी.आई.एन. 06963747)	निदेशक
श्री शिव सिंह (डी.आई.एन. 06965779)	निदेशक
श्री सुरेन्द्र कुमार (डी.आई.एन. 07034201)	निदेशक
श्री चन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. 06964687)	निदेशक
श्री हरपाल सिंह (डी.आई.एन. 07060096)	निदेशक
श्रीमती सुनीता (डी.आई.एन. 07081946)	निदेशक
श्री जवाहर लाल (डी.आई.एन. 07081926)	निदेशक
श्री मुरारी लाल (डी.आई.एन. 06966195)	निदेशक
श्रीमती अखिलेश (डी.आई.एन. 07051619)	निदेशक
श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. 07464066)	निदेशक
श्री अजय कुमार खोसला (डी.आई.एन. 01854876)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह (डी.आई.एन. 06895219)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री सोमेन बिस्वास (डी.आई.एन. 02633426)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री ऋषिराज सिंह (डी.आई.एन. 07005277)	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कंपनी सचिव

श्री वरूण वर्मा

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुडगाँव, हरियाणा

बैकर्स

एच.डी.एफ.सी. बैंक, अलीगढ़
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आगरा
इंडसइंड बैंक, आगरा
एच.डी.एफ.सी. बैंक, नोएडा
एच.डी.एफ.सी. बैंक, आगरा

पंजीकृत कार्यालय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(सिन : U01403UP2014PTC066595)
क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com
Website : www.saahajmilk.com

आंतरिक अंकेक्षक

अरनेस्ट एण्ड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुड़गाँव, हरियाणा

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स

लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि.
44, कम्प्यूनिटी सेन्टर, द्वितीय तल,
नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस–1
पी.वी.आर. नारायणा, नई दिल्ली–110028

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष सन्देश	3
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	4–17
3.	स्वतन्त्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट	18–27
4.	वित्तीय विवरण 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक	
	(अ) आर्थिक चिट्ठा	28
	(ब) लाभ–हानि विवरण	29
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	30
	(द) नोट्स जो की वित्तीय विवरण का हिस्सा है	31–52
	संलग्नक : चर्तुथ वार्षिक साधारण सभा का सूचना पत्र एवं सम्बन्धित अनुलग्नक	53–70

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घदृष्टि

मूल्य

- ★ ईमानदारी
- ★ दूरदर्शिता
- ★ गुणवत्ता
- ★ पारदर्शिता
- ★ टीम-भावना
- ★ साहस और जुनून
- ★ जागरूकता और जिम्मेदारियाँ सभी स्तर पर
- ★ समय तत्परता

ध्येय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी अपने सदस्यों के दूध की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत देते हुए और दूध उत्पादन बढ़ाने तथा लागत खर्च कम करने के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हुए उनके दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है।

दीर्घ दृष्टि

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में देश की अग्रणी कम्पनी होगी तथा दूध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

अध्यक्ष संदेश

प्रिय शेयरधारक साथियो,

तृतीय वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिये सहज दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड के प्रदर्शन पर एक बार फिर से आप सभी सदस्यों को अवगत कराते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

पिछला वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है लेकिन कंपनी का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। कंपनी ने रु. 496.07 करोड़ का कारोबार किया अथवा रु.1.01 करोड़ कर अदा करने के बाद रूपये 1.79 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

आपके निदेशकों ने लाभांश की अनुशंसा का प्रस्ताव पारित किया है, यह लाभांश उन सदस्यों को मिलेगा, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में 31 मार्च, 2017 की अवधि तक अंकित हुआ है।

कंपनी ने अपने उन सक्रिय उत्पादक सदस्यों का रू. 87.60 लाख का वफादारी प्रोत्साहन दिया जिन्होंने सदस्यता के मानदण्डों के अनुसार सभी शर्तों को पूरा किया है। कंपनी ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कंपनी का उत्पादक सदस्य बनाया तथा उनकी आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए छोटे डेयरी किसानों को प्रशिक्षित किया।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में कंपनी ने राष्ट्रीय डेयरी योजना के प्रथम चरण के तहत 12.62 करोड़ किलोग्राम दुग्ध का उपार्जन किया है। इसके अतिरिक्त आहार संतुलन कार्यक्रम को किसान के घर तक पहुँचाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किये गये है। पशु चारा ''सहज सुदाना'' और चिलेटिड क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण ''सहज मिन'' को दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये उपयोग में लाया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने 4,599 गाँव में उच्च गुणवत्ता वाली कृत्रिम गर्भाधान सेवायें प्रदान की है। और 600 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की सहायता से 1,83,889 कृत्रिम गर्भाधान किये है।

कंपनी ने महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए 27% की महिला सदस्यता की उपलब्धि दर्ज की है।

नये वित्तीय वर्ष में प्रवेश करते हुए हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम दुग्ध उपार्जन (प्रोक्योरमेंट) की मूलभूत संरचना को और मजबूत बनाये और सूचना तकनीकी प्रणाली पर आधारित दूध की खरीद और लेन–देन में अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता लाएं।

आपकी कंपनी ने इस वित्त वर्ष 2016–2017 में दुग्ध उत्पाद जैसे की घी, दूध, छाछ और दही को आगरा, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, इग्लास, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा में आम जन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। कंपनी का लक्ष्य अपने उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले दुग्ध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने का है।

आपके द्वारा दिखाये गये विश्वास को धन्यवाद देते हुये मैं आपसे आगे भी सहयोग की आशा रखता हूँ। आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित

ह./–
आपका विश्वसनीय
महेश चन्द्र
अध्यक्ष

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को आपके समक्ष 31 मार्च 2017 तक अंकेक्षित विवरण के साथ कंपनी के संचालन सम्बन्धी चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय प्रदर्शन :

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (रूपये करोड़ में)	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (रूपये करोड़ में)
आय :		
परिचालन से राजस्व	496.07	489.45
अन्य आय	1.92	1.21
कुल राजस्व	497.99	490.66
व्यय :		
खपत सामग्री की लागत	–	–
बिक्री के लिए माल की खरीद	453.09	445.58
तैयार माल, कार्य प्रगति एवं स्टॉक इन ट्रेड की सूची में परिवर्तन	(0.43)	(1.29)
कर्मचारी लाभ व्यय	6.50	4.89
वित्त लागत	5.71	3.33
मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	4.92	4.20
अन्य खर्चे	25.39	18.57
कुल खर्चे	495.18	475.29
कर से पूर्व लाभ/हानि	2.80	15.37
कर व्यय		
(1) वर्तमान कर	0.71	5.50
(2) स्थगित कर	0.30	–0.10
कुल कर खर्च	1.01	5.40
लाभ/(हानि) कर के बाद	1.79	9.97

हमें यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने रू. 496.07 करोड़ की कुल आय के लक्ष्य को प्राप्त किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उत्पन्न कुल राजस्व रू. 497.99 करोड़ का था जिसमें अन्य आय रू. 1.92 करोड़ की है, कुल खर्चे रूपये 495.18 करोड़ के है। जिनमें रूपये 452.65 करोड़ के भौतिक खर्च, तथा रूपये 5.71 करोड़ वित्तीय खर्च तथा रूपये 4.92 करोड़ के मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय शामिल है। कर पूर्व लाभ रूपये 2.80 करोड़ का है तथा कर के बाद लाभ रूपये 1.79 करोड़ का है। अंश जिसकाअंकित मूल्य रू. 100/– है, उसकी प्रति अंश आय रूपये 17.52 है तथा कुल पूँजी रूपये 1533.39 लाख की है।

सीमित आय (लाभांश) :

कंपनी ने अपने सदस्यों को अंश पूँजी पर हर साल लाभांश की घोषणा के साथ–साथ, वितरण भी किया है। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को ध्यान में रखते हुये, 16 अगस्त 2017 को आयोजित बोर्ड बैठक में रूपये 8/– प्रति अंश, 15.33 करोड़ की अंश पूँजी पर लाभांश का सुझाव दिया गया। सदस्यों की मंजूरी के अधीन, चतुर्थ वार्षिक आम सभा में 31 मार्च 2017 तक अंकित सदस्यों को लाभांश दिया जायेगा।

रूपये 8/– प्रति सामान्य अंश पर वित्तीय वर्ष में रूपये 1.48 करोड़ का लाभांश वितरण करने की घोषणा की है जिसमें रूपये 25 लाख का सीमित लाभांश कर सम्मिलित है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण :

कम्पनी अन्तर्नियम के प्रावधानों के अनुच्छेद तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581Z1 के तहत, निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के कर के बाद शुद्ध लाभ में रू. 31 लाख की राशि को सामान्य संचय में स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव रखा है।

संचालन :

दुग्ध उपार्जन :

वाणिज्यिक दुग्ध उपार्जन परिचालन के तीन सालों के भीतर कंपनी का संचालन उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 2,924 गाँवों में फैला है जिसमें 3,455 दुग्ध संग्रह केन्द्र है। कंपनी ने अपने सदस्यों से प्रतिदिन की औसत से 3.45 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध की खरीद की है। उम्मीद है कि दुग्ध संग्रह केन्द्रों के माध्यम से सदस्यों से ताजे गुणवत्ता वाले दूध की खरीद और गुणवत्ता मानकों को बनाये रखने के लिए कंपनी उचित मूल्य पर दूध की बिक्री करने में सक्षम होगी, जिससे सदस्यों के आर्थिक स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

दूध खरीद और स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। दुग्ध संग्रह केन्द्रों तथा अवशीतन केन्द्रों तक दूध पहुँचाने वाले मार्ग को जी.पी.आर.एस. की सुविधा से सशक्त किया गया है, जिसकी सहायता से दुग्ध उपार्जन प्रणाली में पारदर्शिता आयी।

कंपनी अपने सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दूध का प्रतिस्पर्धात्मक तथा लाभप्रद मूल्य पर भुगतान करती है।

भविष्य के लक्ष्य :

आगे की योजना के तहत परिचालित गाँवों को मजबूत करना है। तद्नुसार दुग्ध उपार्जन बढ़ाने के लिए कंपनी संचालित भौगोलिक क्षेत्रों में अपने कार्यों को मजबूत कर रही है। कंपनी ने नये सदस्यों को जोड़ने हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2017–2018 में सदस्यता अभियान चलाने की रणनीती लागू की है। सदस्यता रद्द करने, सदस्यता समर्पण तथा सदस्यता बढ़ाने को देखते हुये, वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत तक 3,455 एम.पी.पी. एवं 1,09,050 सदस्यों तथा कंपनी की सदस्यता में 50% से अधिक महिला सदस्यों को शामिल करने के लक्ष्य को रखा गया है। उसी प्रकार से वित्तीय वर्ष 2017–18 में 4.60 लाख किलोग्राम प्रतिदिन की औसत से दूध खरीदने का लक्ष्य भी है।

लेखा एवं वित्त विभाग :

1. कार्यशील पूँजी : कंपनी की कुल कार्यशील पूँजी (बिल डिस्काऊँटिंग) सुविधा रू. 100 करोड़ है, जो एच.एस.बी.सी. बैंक और इण्डसइंड बैंक के साथ संचालित है।

2. कोष संचालन : कंपनी ने पिछले वर्ष रूपये 98.74 लाख की ब्याज अर्जित की थी तथा इस वर्ष रूपये 147.21 लाख की ब्याज अर्जित की है जो पिछले वर्ष की तुलना में 49 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि नीतिज्ञ कोष संचालन के माध्यम से संभव हुई है।

3. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण : कंपनी द्वारा वर्ष 2016–17 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के तहत् आवश्यकता के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया। कंपनी ने परामर्श फर्म रे एंड रे चार्टर्ड एकाऊटेंट्स को आई.एफ.सी. के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किया। वैधानिक अंकेक्षकों ने भी आई.एफ.सी. कार्यान्वयन के सन्दर्भ में कंपनी के हित में टिप्पणी दी है।

4. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का कार्यान्वयन व संक्रान्ति : कंपनी ने वर्तमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से वस्तु एवं सेवा कर में सफलतापूर्वक स्थानान्तरण कर लिया है। जी.एस.टी. के

सफलतापूर्वक अनुपालन के लिए ई.आर.पी. प्रणाली और सम्बन्धित व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए मैसर्स डेलॉइट हास्किन्स एण्ड सेल्स और जेन्सार टेक्नोलॉजी लिमिटेड से सहायता और परामर्श लिया गया है।

बिक्री एवं विपणन :

कंपनी ने सहज ब्राण्ड पॉली पैक दूध और दूध उत्पादों का विपणन जून, 2016 में आरम्भ किया था और मार्च 2017 के अन्त तक 5,443 लीटर प्रति दिन की दर से दूध की बिक्री, छाछ की मात्रा 743 लीटर प्रतिदिन, घी की मात्रा 6600 लीटर प्रति माह रही। 31 वितरकों तथा 675 खुदरा विक्रेताओं द्वारा आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, वृन्दावन के क्षेत्रों में यह बिक्री दर्ज की गई। कंपनी द्वारा ताजा दूध 25 किमी. के अन्तर्गत आने वाले दूध केन्द्रों से एकत्रित किया जाता है। ताकि दूध व दुग्ध उत्पादों की ताजगी कम समय के भीतर संसाधित की जा सकें।

कम्पनी मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्रा.लि. को भी थोक में दूध कीआपूर्ति करती है।

भविष्य के लक्ष्य :

वर्तमान बाजारों में अच्छी पकड़ बनाने के लिए और नये बाजारों तक अपने उत्पाद पहुँचाने के लिए सहज वित्तीय वर्ष 2017–18 तक 15,000 लीटर प्रति दिन दूध की बिक्री करने में सक्षम हो जायेगी। उत्पादों में स्थिर गुणवत्ता प्रदान करने से सहज अपने दुग्ध उत्पादों जैसे की दूध दही और घी की बिक्री में अच्छी वृद्धि अंकित कर सकता है।

दूध एवं दूग्ध उत्पाद :

कम्पनी अपने उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित एसकेयू में उत्पादों की उच्च गुणवत्ता प्रदान कर रही है।

प्रकार	वर्ग	संरचना (प्रतिशत) (न्यूनतम)	विभिन्न श्रेणियाँ
गोल्ड	फुल क्रीम	6% वसा/9% वसा रहित ठोस	500 मि.ली.
ताजा	टोन्ड दूध	3% वसा/8.5% वसा रहित ठोस	500 मि.ली.
फिट एन फाईन	होमोजोनाइज्ड डबल टोन्ड दूध	1.5% वसा/9% वसा रहित ठोस	500 मि.ली. तथा 200 मि.ली.
स्लिम एण्ड स्मार्ट	स्किम्ड दूध	0.5% वसा/8.8% वसा रहित ठोस	340 मि.ली. तथा 170 मि.ली.
चाय स्पेशल	होमोजिनाईज्ड डबल टोन्ड दूध	2.5% वसा/9% वसा रहित ठोस	500 मि.ली. तथा 200 मि.ली.

छाछ और दही :

पाली पैक दूध के अतिरिक्त सहज अन्य ताजे दुग्ध उत्पादों जैसेकि छाछ और दही भी पाली पैक के रूप में बेच रही है :

उत्पाद	निर्धारित मात्रा
छाछ	500 मिली.
दही पॉली पैक में	200 ग्राम और 400 ग्राम

घी :

सहज घी दानेदार होने के साथ–साथ पवित्रता और ताजगी से समृद्ध है। घी को दूध से निर्मित किया जाता है जो सहज के उन उत्पादक सदस्यों से प्राप्त किया जाता है, जो प्रसंस्करण और पैकिंग स्टेशन के नजदीक होते है। फलस्वरूप कम से कम समय में दुग्ध उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुँच सकें। कम्पनी 1 लीटर तथा 500 मिली. लीटर घी का दोनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विपणन के माध्यम से विक्रय कर रही है।

सहज ब्राण्ड के अन्तर्गत अन्य उत्पाद :

पशु आहार ''सहज सुदाना''

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने **''सहज सुदाना''** ब्राण्ड के अन्तर्गत प्रतिर्स्पधात्मक मूल्य पर संतुलित पशु आहार बिस–II उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी ने वर्ष 2016–17 में 3715.06 मैट्रिक टन सहज सुदाना की बिक्री की। इस प्रकार यह गत वर्ष की विक्रय की तुलना में 480 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण ''सहज मिन''

सहज कम्पनी ने **''सहज मिन''** ब्राण्ड के अन्तर्गत चेलेटिड एरिया का पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में विशेष खनिज मिश्रण का विपणन प्रारम्भ किया है। सकरात्मक प्रक्रिया के कारण कंपनी ने 91.89 मैट्रिक टन सहज मिन की बिक्री की है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

सैप का कार्यान्वयन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी सैप के कार्यक्षेत्र में सक्षम बन गई है। सहज की कार्यप्रणाली को मजबूत, पारदर्शी और प्रमाणीकरण बनाने के लिए 1 अगस्त, 2016 को सैप ई.आर.पी. कार्यक्रम को लागू किया गया। दुग्ध उपार्जन, पी.आई.बी., वित्त एवं लेखा, खरीद, उत्पादन गुणवत्ता विभाग और अन्य सभी विभाग अब एक मंच पर एकीकृत कर दिये गये है। जिसके फलस्वरूप पूरी प्रणाली सुव्यवस्थित हो गई है। सदस्यों का दुग्ध भुगतान बिना किसी हस्तक्षेप के सैप ई.आर.पी. प्रणाली के द्वारा किया जाता है। सैप प्रणाली ने दुग्ध भुगतान की प्रक्रिया को एक सुचारू रूप दिया है।

एस.एम.एस. :

दुग्ध आपूर्तिकर्ता जब भी दुग्ध की आपूर्ति करता है उसे एस.एम.एस. द्वारा सूचित किया जाता है। सदस्य से अनुरोध है किया गया है कि वह अपना मोबाइल नं. बी.एम.सी. पर सुपरवाईजर को पंजीकृत कराये जिसके तहत उन्हें अपने दुग्ध की आपूर्ति का एम.एम.एस. प्राप्त हो सकें।

कंपनी अपनी पी.पी.एम. और दुग्ध उत्पादों की बिक्री के वितरक के चालान और भुगतान की प्राप्ति के सम्बन्ध में पुष्टि के लिए एस.एम.एस. एलर्ट भेजती है।

एनड्राइड (Android) आधारित टेबलिट से ऑनलाइन जानकारी :

आई.टी. ने एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है जिसका डेटा सदस्य और दुग्ध उपार्जन से जुड़ा हुआ डेटा है। ऑनलाईन सूचना के लिये फैसीलीटेटर को टैबलेट दिया गया है। इस प्रणाली ने क्षेत्रीय कर्मचारियों को एम.पी.पी. का डेटा, उत्पादक सदस्यों का विवरण दुग्ध उपार्जन के चक्रों का डेटा तथा सदस्यों द्वारा दुग्ध आपूर्ति के विवरण को सुसज्जित करके कर्मचारियों की कार्यक्षमताओं को बड़ाया है।

उत्पादक संस्था निर्माण :

गत वर्ष के दौरान, उत्पादक संस्था निर्माण विभाग (पी.आई.बी.) ने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में कम्पनी के सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 67,191 सदस्यों ने हिस्सा लिया। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 67,157 दुग्ध उत्पादक किसान/सदस्य एवं महिला जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 48,296 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। महिला जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को विशेष रूप से उनके कार्य, जिम्मेदारियाँ एवं डेयरी क्षेत्र में उनकी सहभागिता और कम्पनी संचालन एवं अभिशासन विषय पर जागरूक किया गया।

उत्पादक संस्था निर्माण ने ग्राम स्तर पर 6,700 सदस्यों को 2,414 एम.पी.पी. में ग्राम सम्पर्क समूह के रूप में चयनित किया तथा 2,415 सदस्यों का सदस्य सम्बन्ध समूह निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 2,908 ग्रामीण युवकों को ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम के तहत डेयरी व्यवसाय के महत्व एवं आजीविका के रूप में अपनाने के लिये प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया गया। ग्रामीण स्कूल के कुल 4,173 विद्यार्थियों को डेयरी क्षेत्र की जानकारी दी गई तथा साथ ही साथ ही साथ दूध एवं दुग्ध उत्पादन के महत्व के प्रति विशेष रूप से जागृत किया गया और कम्पनी द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

निदेशक मण्डल को डेयरी क्षेत्र के विकास एवं विभिन्न क्रिया कलापों की वृहद जानकारी उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से श्रीजा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, तिरूपति तथा अल्माड़ी सीमेन स्टेशन, चेन्नई, तमिलनाडू के भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उप–परियोजना :

कम्पनी ने राष्ट्रीय डेयरी योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत तीन उप–परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया।

1. ग्राम आधारित दुग्ध उपार्जन पद्धति
2. आहार संतुलन कार्यक्रम (आर.बी.पी)
3. कृत्रिम गर्भाधान वितरण के लिये पायलेट मॉडल

इन एस.पी.पी. को एन.डी.डी.बी. में पी.एम.यू. (प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट) द्वारा 31 मार्च 2017 तक एन.डी.पी.–1 के तहत स्वीकृति दी गई।

कम्पनी एक एण्ड इम्पलीमेंटिग एजेन्सी के रूप में उप–परियोजना के तहत अपने परिचालन को उत्तर प्रदेश के दस जिलों में आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, मुरादाबाद, बदायूँ एवं जे.पी.नगर में लागू कर रही है।

कम्पनी ने एन.डी.पी.–1 के तहत उप–परियोजनाओं की योजनाओं को 2018–19 तक विस्तृत करने के लिए अनुरोध किया। इस विषय में कंपनी को नेशनल डेयरी प्लान के प्रथम चरण के अन्तर्गत 2018–19 तक बढ़ाने की अनुमति मिल गयी है।

ग्राम अधारित दुग्ध संकलन प्रणाली :

कंपनी ने 3455 दुग्ध संग्रह बनाये और कंपनी ने 3.45 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन एकत्रित किया। कंपनी ने 2,856 सहायकों को प्रशिक्षण दिया और इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर क्षेत्र प्रभारी पी. आई.बी. अधिकारी तथा सुपरवाईजरों के द्वारा भी बैठक में दुग्ध उत्पादकों को कम्पनी के बारे में अवगत कराया था। सभी दुग्ध अवशीतन केन्द्रों के स्टाफ, फील्ड स्टाफ, सहायकों व अन्य स्टाफ को गुणवत्ता आश्वासन संचालन एवं रखरखाव टीम बिल्डिंग और नेतृत्व कौशल विकास पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

आहार संतुलन कार्यक्रम (आर.बी.पी.):

इस परियोजना के अन्तर्गत कंपनी आर.बी.पी. सेवाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क विकसित कर रही है। आर.बी.पी. ने परम्परागत प्रथाओं को बदलने में मदद की है। कंपनी ने उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए कई जन–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 3,709 गाँवों में अपनी आर.बी.पी. सेवायें प्रदान की है, और 1,89,390 किसानों/सदस्यों के 2,30,720 दुधारू पशुओं का पंजीकरण किया है।

व्यवहारिक कृत्रिम गर्भाधान वितरण के लिए पायलेट मॉडल :

कंपनी इस परियोजना के अन्तर्गत देश में उपलब्ध शीर्ष आनुवंशिकी का उपयोग करते हुए उत्पादक के घर तक गुणवत्ता वाली ए.आई. सेवाओं को उत्पलब्ध करवाती है। जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले बछड़ों का उत्पादन करना है।

गत वर्ष कंपनी ने 4,559 गाँव में 600 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के द्वारा 1,83,889 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाया।

गुणवत्ता :

गुणवत्ता हमेशा कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्रित क्षेत्र रहा है। कंपनी में गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए हमने अपने पूरे डेयरी वैल्यू चेन में विभिन्न गुणवत्ता प्रणालियों को डिजायन और कार्यान्वित किया है। इन गुणवत्ता प्रणालियों का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय नियामक मानक के साथ–साथ मानदंडों के अनुरूप दूध और दूध उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है।

हमारे दुग्ध अवशीतन केन्द्र, दूध की रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता की जाँच करने के साथ ही किसी

भी प्रकार की मिलावट की जाँच करने हेतू पूर्ण रूप से विकसित एवं सुसज्जित है। कंपनी ने अत्याधुनिक एवं उच्च विश्लेषणात्मक उपकरण जैसे कि सोडियम मीटर, वोरटैक्स शेकर्स, डिजीटल बी.आर.मीटर, दुग्ध विश्लेषक, आर.एम. परीक्षण सुविधा, रैमी सेट्रीफ्यूज की सुविधा उपलब्ध है। गत वित्तीय वर्ष कंपनी ने दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता के लिए प्रयोगशाला प्रभारियों, कैमिस्टो, गुणवत्ता कर्मियों को अनेक प्रशिक्षण दिये गये। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हम उन्हें दुग्ध परीक्षण प्रक्रियाओं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मानदंडों, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा, अच्छी उत्पादन कार्यप्रणाली, स्वच्छ दूध उत्पादन, अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं आदि के विषय में सम्पूर्ण जानकारी देते है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए, एक मजबूत गुणवत्ता तंत्र के लिए आवश्यकता है।

भविष्य के लक्ष्य :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की अपेक्षा हमने 0.019 % से 0.017 % औसत खट्टा दूध कम करने में सक्षम रहें है। आगामी वर्ष में हम 0.010% तक खट्टा दूध का अनुपात कम करने का लक्ष्य रखते है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016–17 के दौरान कच्चे ठण्डे दूध की औसत एम.बी.आर.टी. (मिथिलीन ब्लू रिडक्शन टाईम) 62 मिनट थी। वर्ष 2017–18 में हम 75 मिनट की एम.बी.आर.टी. रखने का लक्ष्य रखते है।

निदेशक :

डा. एन.वी.बेलावड़ी कम्पनी के विशेषज्ञ निदेशक, जिनका कार्यकाल 15 दिसम्बर, 2016 को समाप्त हो गया तथा वह सेवानिवृत्त हुए। कंपनी उनके द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के लिये उनकी प्रशंसा करती है।

श्री श्रीराम सिंह को 16 दिसम्बर, 2016 को कम्पनी के विशेषज्ञ निदेशक के पद पर दो साल की अवधि के लिए नियुक्ति किया गया है।

बोर्ड की बैठकें :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के लेन–देन के लिए समय–समय पर बोर्ड की बैठक होती है, और वर्ष के दौरान चार बोर्ड बैठकें निम्नानुसार आयोजित की है।

बोर्ड बैठकों की क्र.स.	बोर्ड बैठकों की तिथि	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थिति निदेशक
12 वीं बोर्ड बैठक	25 जून, 2016	15	14
13 वीं बोर्ड बैठक	11 अगस्त, 2016	15	15
14 वीं बोर्ड बैठक	2 दिसम्बर, 2016	15	13
15 वीं बोर्ड बैठक	28 मार्च, 2017	15	14

निदेशक मण्डल की संरचना और निदेशकों की पुन: नियुक्ति :

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहाँ तक संभव हो सकें संबधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षक के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये है। तीन विभिन्न वर्गों श्रेणी–ए, श्रेणी–बी तथा श्रेणी–स में संरक्षण के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कंपनी की प्रथम वार्षिक आम–सभा में अनुमोदित किया गया था।

आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में संरक्षक के मानदण्ड पूरे करने अथवा नहीं करने पर यह पाया गया है कि कुल सदस्यों में से 67 प्रतिशत सदस्यों ने ही अपनी श्रेणी के आधार पर 31 मार्च 2017 को दिये गये संरक्षण के मानदण्डों को पूरा किया है। इसी प्रकार 14 प्रतिशत सदस्यों में से क्रमश: 22.54 प्रतिशत श्रेणी ए, 24.92 प्रतिशत श्रेणी बी. तथा 52.54 प्रतिशत श्रेणी स। ए, बी एवं स के मध्य उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दुग्ध की मात्रा का अनुपात प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान क्रमश: 57%, 18% और 25% था। इसी प्रकार बोर्ड की संरचना में सभी वर्गों को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमश: श्रेणी ए में 6, श्रेणी बी में 2 तथा श्रेणी स में 3 निदेशक होते है। बोर्ड अनुच्छेद 9.5 की आवश्यकताओं को निम्नलिखित प्रकार से पूरा करेगा :–

श्रेणी ए के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड के तीन निदेशक श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संरक्षण मानदण्डों के आधार पर श्रेणी प्रतिनिधित्व के अनुसार श्रेणी ए में एक रिक्ति है। क्योंकि श्रेणी ए के लिए नामांकन समिति को कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए चर्तुथ वार्षिक आम सभा में श्रेणी ए के लिए कोई चुनाव नहीं होगा।

कंपनी के अर्न्तनियमों एवं बर्हिनियमों के अनुच्छेद 9.5 और 9.6 के अन्तर्गत श्रेणी ए में निदेशकों की कुल संख्या 3 रहेगी।

श्रेणी बी के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड के 7 निदेशक श्रेणी–बी का प्रतिनिधित्व करते है।

कंपनी के अंतर्नियम 9.6 के अनुसार श्री हरपाल सिंह, श्री शिव सिंह और श्री सुरेन्द्र कुमार कंपनी के निदेशक, श्रेणी बी के प्रतिनिधि, चतुर्थ वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे।

कंपनी के अंतर्नियमों एवं बर्हिनियमों के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी में श्रेणी बी के कुल 4 निदेशक हो जायेंगे।

श्रेणी स के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड के 1 निदेशक श्रेणी स का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नामांकन समिति की अनुशंसा पर बोर्ड ने श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. 07894230) तथा श्री रजनीश कुमार (डी.आई.एन. 07894245) जो श्रेणी स के प्रतिनिधि है, श्रेणी स के रिक्त स्थान पर नियुक्त करने की अनुशंसा करते है। निदेशक की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की चतुर्थ वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र में शामिल किया गया है।

कंपनी के अंतर्नियमों एवं बर्हिनियमों के अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी मे श्रेणी स के कुल 3 निदेशक हो जायेंगे।

सदस्यता/वोट देने का अधिकार/अंश पूँजी :

31 मार्च, 2017 को कम्पनी की प्रदत्त पूँजी रूपये 15.33 करोड़ थी, और 80,952 सदस्य जिनका नाम कम्पनी के अंशधारकों के रजिस्टर में अंकित था।

31 मार्च, 2017 के पश्चात् कम्पनी में 3,760 नये सदस्यों को जोड़ा गया और 14,946 सदस्यों की सदस्यता मानदंडों को पूरा ना करने के कारण रद्द कर दी गई है। तत्पश्चात् इस रिपोर्ट की तारीख तक कम्पनी के कुल सदस्यों की संख्या 69,766 है।

वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति एवं मतदान अधिकार :

31 मार्च, 2017 को 80,952 सदस्यों में से सदस्यता मानदण्डों को पूरा न करने के कारण 14,946 सदस्यों की सदस्यता को समाप्त कर दिया है। 49,675 सदस्यों ने कम से कम 200 दिन एवं 500 लीटर दूध न देने के कारण अपने वोट देने के अधिकार को खो दिया है। शेष 16,331 सदस्यों को चतुर्थ वार्षिक आम सभा में वोट देने का अधिकार प्राप्त है।

31 मार्च, 2017 के पश्चात् कम्पनी के साथ जो नये सदस्य जुड़े हैं, उनको वर्ष 2016–17 का सीमित लाभांश

प्राप्त करने एवं, चतुर्थ आम बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन :

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2017 के समाप्त होने के बाद कंपनी के व्यापार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

व्यवसाय के स्वरूप में बदलाव :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अर्न्तगत कंपनी के निदेशक सदस्यों को यह सूचना देते है:

क. वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का अनुपालन उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें निरन्तर लागू किया है जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ का सही एवं उचित विवरण प्रस्तुत करते है।

ग. कम्पनी के निदेशकों द्वारा कंपनी की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने एवं बचत हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके रखरखाव में आवश्यक एवं उचित सावधानी बरती है।

घ. कंपनी के निदेशकों द्वारा वार्षिक खातों को प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार करवाया है।

निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और वह उचित प्रणाली प्रभावी रूप से संचालन कर रही है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित जगह पर है जो कि यह सुनिश्चित करती है कि कम्पनी में सभी

परिसम्पत्तियों और लेन–देन की सही ढंग से रिपोर्ट दर्ज की गई है या नहीं आई.सी.एफ.आर. प्रणाली की समीक्षा करने के लिए कंपनी ने मैसर्स रे एण्ड रे, चाटर्ड एकाउटेंट्स, मुम्बई को नियुक्त किया। वित्तीय लेन–देन करने की नीतियाँ और प्रक्रियाओं के दस्तावेज, वित्तीय लेन–देन में उत्पन्न होने वाली विपत्तियाँ को कम करने की प्रक्रियाओं तथा विपत्तियों का नियंत्रण मैट्रिक्स विकसित करने के लिए अनुबन्ध किया गया।

कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा मैसर्स अरनेस्ट एण्ड यंग द्वारा आयोजित की जाती है। अरनेस्ट एण्ड यंग, एल.एल.पी. चार्टड एकाऊटेंट्स, आंतरिक लेखा परीक्षक स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते है तथा बहुसंख्य में लेन–देन का मूल्यांकन करते है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZF आंतरिक लेखा परीक्षा के अनुपालन के अन्तर्गत पूर्ण करती है।

लेखा परीक्षक :

कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी चार्टड एकाउन्टेण्ट्स उनका कार्यकाल आगामी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति के साथ खत्म हो जाएगा तथा योग्य होने पर पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखा है। कम्पनी के अंकेक्षकों से इस आशय में प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है कि यदि उनकी पुनः नियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (1) के प्राविधानों के अनुसार होगी।

आपके निदेशक मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी आम सभा में नियुक्ति करने की अनुशंसा करते हैं।

कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2A) को कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पढ़ा जाये, का अनुसरण करते हुए समीक्षाधीन अवधि में किसी भी कर्मचारी ने किसी भी स्थिति में पारिश्रमिक के रूप में कुल मिलाकर रू. 60 लाख वार्षिक अथवा रू. 5 लाख प्रतिमाह से अधिक राशि प्राप्त नहीं की है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनियम आय एवं निकासी :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ई) कंपनी अधिनियम 1956 एवं कंपनी की धाराओं के अनुसार (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के विवरण का स्पष्टीकरण) नियम 1988 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार जानकारी इस प्रकार है :–

1. ऊर्जा प्रोद्योगिकी के संरक्षण से सम्बन्धित भाग ए और भाग बी के नियम अभी हमारी कम्पनी पर लागू नहीं होते।

2. विदेशी विनिमय से आय तथा निकासी – आय, शून्य, निकासी – शून्य।

सामान्य कार्यालय और बिजली प्रयोजनों को छोड़कर कंपनी की कोई बिजली खपत नहीं है।

आभार :

कंपनी का निदेशक मंडल इस अवधि में समीक्षा के दौरान अपने सदस्यों और व्यापारिक सहयोगियों के योगदान की सराहना व्यक्त करना चाहता है। साथ ही बैंक कर्मचारियों, वैधानिक व आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद करता है।

निदेशक मण्डल एन.डी.डी.बी., एन.डी.एस., मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग देने के लिए उनका आभार व्यक्त करते है।

वास्ते निदेशक मण्डल
ह./–
महेश चन्द्र
अध्यक्ष एवं निदेशक

दिनांक – 16 अगस्त, 2017
स्थान : आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

सदस्यों के लिए स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2017 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में वर्णित लेखामानकों तथा आमतौर पर भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी के प्रबंधकों का दायित्व कंपनी के वे सभी वित्तीय विवरण तैयार करना है। जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता तथा रोकड़ प्रवाह की सही जानकारी प्रदान करते हों जो कि कंपनी लेखांकन (नियम) 2014, (जो कि भारत में स्वीकार्य है) लेखांकन सिद्धांतों जोकि अधिनियम की धारा 133 में वर्णित हैं, के अनुरूप है। इसमें वे सभी दायित्व सम्मलित हैं जो अधिनियम के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है, जिससे कंपनी के वित्तीय लेखों की सही जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों (जिसमें कि और लेखांकन सिद्धांतों का सही चुनाव और क्रियान्वयन, उचित और तर्कसंगत अनुमानत लगाना और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से सम्बन्धित एक प्रक्रिया बनाना, उसे लागू करना और उसे बनाये रखना शामिल है।)

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षक के मानकों एवं अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों एवं अधिनियम की धारा 143(11) के तहत् आदेश के अनुसार, अंकेक्षक रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विषय को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) द्वारा अंकेक्षण पर जारी मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। इन मानकों के लिये आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए अंकेक्षण की योजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें जिससे इस बात के लिए आश्वस्त किया जा सके कि वित्तीय लेखे सभी प्रकार के गलत तथ्यात्मक कथनों से मुक्त हैं।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकाशित तथ्यों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। अंकेक्षण के लिए चयनित प्रक्रिया अंकेक्षण के स्व विवेक एवं निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के सन्दर्भ में कपटपूर्ण या गलती से दिए गए गलत तथ्यात्मक कथनों से सम्बंधित जोखिम की मात्रा का अनुमान लगाना भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों के लिए आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया तैयार करने हेतु अंकेक्षण इस प्रकार की जोखिम का निर्धारण करने के लिए कंपनी के उन सभी आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है जो कंपनी के वित्तीय लेखे तैयार कर उसके उचित प्रस्तुतीकरण करने में आवश्यक है। परन्तु कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपने विचार प्रकट करने का उद्देश्य नहीं है। साथ ही अंकेक्षकों का उद्देश्य लेखांकन के लिए प्रयोग की जा रही नीतियों की औचित्यता तथा प्रबंधन के लेखांकन अनुमानों की तार्किकता के साथ–साथ लेखों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य अंकेक्षण पर राय प्रकट करने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

राय

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, 31 मार्च, 2017 को कंपनी का चिट्ठा, वर्ष समापन की तिथि को लाभ–हानि खाता और वर्ष समापन की तिथि को रोकड़ प्रवाह खाता, आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप, अधिनियम के अंतर्गत सत्य एवं निष्पक्ष सूचनायें देते हैं।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:–

(अ) हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये गये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

(स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप है।

(य) 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मण्डल के 31 मार्च, 2017 को रिकार्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(र) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट ''अनुलग्नक अ'' को देखें। हमारी रिर्पोट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।

(ल) कम्पनीज (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाऐं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार –

1. कंपनी के विरूद्ध ऐसा कोई भी विवाद जारी नहीं है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो।

2. कंपनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबन्ध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियाँ हो।

3. कंपनी के द्वारा निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

4. दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना S.O. 3407 (E) में परिभाषित विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स की दिनांक 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान जमा की गई पूंजी एवं लेनदेन के सम्बन्ध में कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटीकरण किया है और ऐसे प्रकटीकरण कम्पनी द्वारा बनाए गए खातों की पुस्तिका के अनुसार है। परन्तु, जैसा प्रबन्धन ने प्रस्तुत किया है, वित्तीय विवरण के नोट 32 में दर्शायी गयी राशि रू. 8,428,500 गैर अनुज्ञाप्राप्त प्राप्तियाँ हैं।

2. अनिनियम की धारा 143 (11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर विवरण ''अनुलग्नक ब'' में दिया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA की धारा 581ZG में वर्णित मुद्दों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू होंगे जिस प्रकार अधिनियम, 1956 में लागू थें जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं किया जाता) पर हमनें विवरण ''अनुलग्नक स'' में दिया है।

कृते एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(Registration No. 101496W)

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 16 अगस्त, 2017

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (अ)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 (f) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (I) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 को सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कंपनी का प्रबन्धन कंपनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कंपनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हें लागू करना तथा उन्हें बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कंपनी की नीतियों की पालना, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कंपनी अधिनियमि 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख (''दिशानिर्देश लेख'') तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशा निर्देश चाहते है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख–रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाऐं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्वति के लिए हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

एक कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्वातों के अनुसार ब्राह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो (1) लेखा के रखरखाव से सम्बन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कंपनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्वांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कंपनी के आय एवं व्यय प्रबन्धकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे है तथा (3) कंपनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते है और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्वति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2017 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कंपनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

कृते एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(Registration No. 101496W)

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 16 अगस्त, 2017

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (ब)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं' के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

(i) कंपनी की अचल संपत्तियों में सम्बन्ध में :–

अ. कंपनी ने अचल संपत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिए उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।

ब. वर्ष के दौरान कंपनी प्रबन्धन के द्वारा अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें संपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

स. हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं दिये गये स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कंपनी के नाम कोई भी भूमि व भवन नहीं है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (i) (c) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(ii) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी प्रबन्धन द्वारा स्टॉक का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया है तथा भौतिक सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

(iii) कंपनी ने किसी भी कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व फर्म या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के रजिस्टर में आवृत किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

(iv) कंपनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गारंटी प्रदान नहीं की है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (iv) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(v) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुचछेद (v) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vi) कंपनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति को देखते हुए, CARO 2016 के अनुच्छेद (vi) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(vii) वैधानिक देय के सम्बन्ध में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :–

अ. कंपनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य–निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवाकर, वैट, सेस तथा अन्य कोई भी कंपनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है। हमें सूचित किया गया है कि कंपनी द्वारा इस वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के कारण किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क जैसा कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

ब. 31 मार्च, 2017 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको भुगतान की जाने की तारीख से 6 माह हो गये हो।

स. आय कर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं वैट, की ऐसी कोई भी राशि 31 मार्च, 2017 को देय नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो।

(viii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की ऋण या उधार की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की हैं। कंपनी ने सरकार से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है एवं ना ही कोई ऋण–पत्र (डिर्बेचर) जारी किये हैं।

(ix) कंपनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या अवधि ऋण से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (ix) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण एवं हमारी जानकारी के अनुसार कंपनी ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा कंपनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस वर्ष के दौरान ना ही सामने आया है और ना ही रिपोर्ट किया गया है।

(xi) कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xii) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xiii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी

अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 188 का अनुपालन किया है। जहाँ भी लागू हों, सम्बन्धित पक्षकारों के सभी व्यवहारों तथा सम्बन्धित पक्षकारों के सम्पूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है जोकि लागू होने वाले लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक है।

(xiv) कंपनी, कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IXA में पंजीकृत है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xiv) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xv) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर–नकदी व्यवहार नहीं किये गये हैं अत: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–IA के तहत् कंपनी को पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

कृते एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(Registration No. 101496W)

ह./
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 16 अगस्त, 2017

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (स)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट 'अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

1. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 17 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।

2. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबन्धन द्वारा वर्ष के अंत में हस्तगत रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया है तथा इस तरह के सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई भी विसंगति नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गयें स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास किसी भी प्रकार की निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं है।

3. 31 मार्च, 2017 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।

4. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है जो की कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान के विरूद्ध हो।

5. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

6. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

कृते एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(Registration No. 101496W)

ह./
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 16 अगस्त, 2017

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च, 2017

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
A-	शेयर और देयताएं			
	1. अंश धारक कोष			
	(a) अंश पूँजी	3	153,339,100	89,768,900
	(b) प्रारक्षित निधि और अधिशेष	4	150,398,491	132,497,431
			303,737,591	222,266,331
	2. अंश पूँजी के आवेदन लम्बित आवंटन		8,019,700	13,552,330
	3. अस्थिगत अनुदान	5	190,229,696	114,793,988
	4. अंतरल देयताएं			
	(a) दीर्घ अवधि प्रावधान	6	141,068,550	137,663,000
	(b) दीर्घ अवधि समायोजन	7	85,106,108	58,498,913
	(C) प्रारक्षित निधि और अधिशेष	8	9,083,399	5,408,404
	(d) शुद्ध स्थगित कर दायित्व	14	1,501,187	–
			236,759,245	201,570,317
	5. तरल देयताएं			
	(a) लघु अवधि की उधारी	9	868,177,643	996,675,183
	(b) व्यापारिक देनदार	10	227,352,809	246,535,810
	(C) अन्य तरल देयताएं	11	50,069,310	35,526,681
	(d) लघु अवधि प्रावधान	12	1,418,859	26,905,824
			1,147,018,621	1,305,643,497
B-	आस्तियां		**1,885,764,853**	**1,857,826,464**
	1. अंतरल आस्तियां			
	(a) अचल आस्तियां			
	(i) मूर्त आस्तियां	13(a)	427,311,440	315,187,574
	(ii) अमूर्त संपत्ति	13(b)	24,549,138	2,476,625
	(iii) कार्यरत पूँजी	13(c)		16,115,874
	(b) आभासी कर आस्तियां (कुल)	14		1,511,728
	(C) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	15	23,072,306	11,340,720
			474,932,884	346,632,521
	2. तरल आस्तियां			
	(a) रहतिया	16	44,824,077	34,421,845
	(b) व्यापारिक देनदार	17	907,947,854	1,058,433,942
	(C) रोकड़ और रोकड़ समरूप	18	425,417,719	402,927,428
	(d) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	19	23,902,536	7,773,848
	(e) अन्य चल आस्तियां	20	8,739,784	7,636,880
			1,410,831,970	1,511,193,943
	कुल योग		**1,885,764,853**	**1,857,826,464**

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 16 अगस्त, 2017

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
महेश चंद्र
निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 16 अगस्त, 2017

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

लाभ हानि खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2017

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
1.	व्यावसायिक गतिविधियों से आय	21	4,960,675,057	4,894,465,580
2.	अन्य आय	22	19,160,018	12,107,922
3.	कुल आय		**4,979,835,075**	**4,906,573,502**
4.	**खर्चे**			
	(a) व्यावसायिक स्टॉक की खरीद	23	4,530,915,960	4,455,870,460
	(b) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव	24	(4,341,000)	(12,941,722)
	(C) कर्मचारियों से सम्बन्धित खर्चे	25	65,038,312	48,906,595
	(d) व्यावसायिक लागत	26	57,155,882	33,346,909
	(e) ह्रास खर्च	13	49,179,982	41,967,095
	(f) अन्य खर्चे	27	253,871,962	185,753,086
	कुल खर्चे		**4,951,821,100**	**4,752,902,423**
5.	कर से पूर्व आय		28,013,975	153,671,079
6.	कर सम्बन्धी खर्चे			
	(a) वर्तमान कर		7,100,000	55,000,000
	(b) स्थगित कर (कुल)		3,012,916	(1,001,850)
	कुल कर खर्चे		10,112,916	53,998,150
7.	सम्बन्धित वर्ष का लाभ		**17,901,060**	**99,672,929**
8.	प्रति अंश आय	31		
	(Nominal value Rs. 100 per share)			
	(a) बेसिक		17.52	328.97
	(b) डायलूटेड		17.51	328.57

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 16 अगस्त, 2017

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
महेश चंद्र
निदेशक

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 16 अगस्त, 2017

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

रोकड़ प्रवाह खाता

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
A.	व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
	कर से पूर्व लाभ	28,013,975	153,671,079
	समायोजन		
	ब्याज से आय	(14,721,337)	(9,874,471)
	व्यावसायिक लागत	57,150,135	33,341,894
	कर्मचारी हित खर्चे	4,095,934	5,534,743
	ह्रास खर्च	519,273	–
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	49,179,982	41,967,095
	कार्यशील पूँजी में बदलाव से पूर्व व्यावसायिक लाभ	**124,237,963**	**224,640,340**
	कार्यशील पूँजी में समायोजन		
	रहतिये में वृद्धि	(10,402,232)	(12,941,723)
	व्यावसायिक लेनदारों में वृद्धि	149,966,815	(896,521,879)
	दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(324,776)	(1,589,417)
	लघु अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(16,128,688)	(5,935,431)
	व्यावसायिक देनदारों में वृद्धि	26,607,195	–
	अन्य चल देयताओं में वृद्धि	(19,183,000)	73,682,028
	व्यवसाय से रोकड़ प्राप्ति	7,247,355	70,507,211
	कुल आयकर भुगतान	**247,525,923**	**(548,158,870)**
	व्यवसाय गतिविधियों से कुल रोकड़ प्राप्ति	(41,797,663)	(60,795,370)
		205,728,260	**608,954,240**
B.	**निवेश से रोकड़ प्राप्ति**		
	बैंक शेष, रोकड़ नहीं है	127,845,723	(351,982,457)
	अचल आस्तियों की खरीद	(89,310,132)	(274,445,094)
	ब्याज प्राप्ति	13,618,432	2,692,104
	निवेश में व्यय कुल रोकड	**(52,154,023)**	**(623,735,447)**
C.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्राप्ति**		
	समता अंश पूँजी जारी करने से प्राप्त राशि	60,017,870	67,569,900
	शेयर आवेदन के पैसे प्राप्त	8,019,1700	13,552,330
	लम्बे समय तक उधारी से प्राप्त आय	35,074,000	137,663,000
	नेट वृद्धि/(कमी) कार्यशील पूँजी उधारी में	(128,497,540)	996,675,183
	लाभांश कर सहित भुगतान	(11,448,614)	(719,048)
	वित्तीय लागत का भुगतान	(60,711,685)	(18,776,966)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्राप्ति	**104,410,798**	**1,195,964,399**
	Net increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	**107,546,269**	**(36,725,288)**
	वर्ष के शुरू में रोकड़	15,944,971	52,670,260
	वर्ष के समाप्ति में रोकड़	**166,280,985**	**15,944,971**
	रोकड़ में सम्मिलित		
	बैंक करंट अकाउंट	166,280,985	15,944,971
	कुल रोकड़ प्रवाह	166,280,985	15,944,971
	जोड़ें: नकद और नकद समतुल्य रूप में नही माना बैंक बैलेंस	259,136,734	386,982,457
	नकद और नकद समकक्ष आर्थिक चिट्ठा के अनुसार (17 नोट)	**425,417,719**	**402,927,428**

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 16 अगस्त, 2017

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
महेश चंद्र
निदेशक

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 16 अगस्त, 2017

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग है।

1. कंपनी के बारे में

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के अंतर्गत दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को गठित है।

दिनांक 12 दिसम्बर 2014 से कंपनी ने उत्तर प्रदेश में दुग्ध क्रय करने का कार्य प्रारम्भ किया। कंपनी उत्तर प्रदेश के गाँवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर कच्चे दूध का विक्रय मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को करती है। कंपनी पशु आहार एवं वीर्य क्रय एवं विक्रय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं :

लेखांकन का आधार

कंपनी के लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 से सम्बंधित लागू होने वाले प्रावधानों में दिए गए लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गए हैं। एम. सी. ए. निर्देश के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनीज पर लागू रहेंगे। कंपनी के वित्तीय विवरण, विवरण उपचय लेखांकन के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गए हैं।

अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धातों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग सम्पत्तियों एवं दायित्वों की राशियों तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कंपनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किए गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हें किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य

प्रभाव होता है।

रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया हैं। जिसमें लाभ–हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किये गए राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कंपनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग–अलग किया जाता है।

आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता हैं जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जो कि ग्राहकों को माल की सुपर्दगी के समय होता हो, को विक्रय के रूप में जाना जाता है। जमाओं पर ब्याज की आय को उपार्जन के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

अन्य आय

जमा पर ब्याज अर्जित आधार पर मानी जाती है।

अचल संपत्तियां (मूर्त)

अचल सम्पत्तियों को उनकी लागत में से संचित ह्रांस/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल सम्पत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लेने के लिए किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल सम्पत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गए किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे संपति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पंजीकरण किया जाता है।

प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे सम्बन्धित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

ह्रास

ह्रास का निर्धारण सीधी रेखा पद्धति संपत्ति के प्रयोग जीवन के आधार पर होता है जो कि टेक्निकल सलाह, संपत्ति की प्रकृति, सम्पत्ति का अनुमानित उपयोग, संपत्ति को चलाने की दशाएं, पिछली रेप्लसमेंट्रस, टेक्नोलॉजी के बदलाव, निर्माण वारंटी और रखरखाव सेवा इत्यादि पर निर्भर करता है।

ह्रास का निर्धारण करने के लिए संपत्ति का उपयोगी जीवन निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं,

विवरण	उपयोगी वर्ष	जिन्दगी
प्लांट एवं उपकरण	10	–
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15	–
कम्प्यूटर्स	03	–
कार्यालय उपकरण	10	–

मूल्य–ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से अनुपातिक आधार पर किया जाता है।

5000 रूपये या इससे कम मूल्य के एकल सम्पत्तियों को उनके क्रय के वर्ष में हैं मूल्य ह्रासित किया जाता है।

रहतिया

रहतिया में सभी प्रकार का कच्चा माल एवं पैकिंग सामग्री, तैयार माल, भण्डार तथा उपकरण शामिल हैं। रहतिया का मूल्यांकन लागत पर और वास्तव में वसूल हो सकने वाली राशि में जो कम हो, उस पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो उनके वर्तमान स्थान तथा स्तिथि में लाने हेतु किये गए हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कंपनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य ह्रास सम्बन्धित सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता हैं तथा उसे सम्पत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य ह्रास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा

सम्बन्धित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता है।

कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी तथा अवकाश का प्रतिफल हेतु प्रावधान शामिल है।

निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कंपनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्युटी को चिट्ठे की तिथि को किये गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार लिया गया है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोत्तरी को बीमांकिक मूल्यांक के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गयी हैं। इन लाभों में परफॉरमेंस इन्सेन्टिव्स और अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति शामिल हैं जो पिछले 12 माह में कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं से सम्बन्धित है।

दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्तिथियां, जो कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी। एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

प्रतिशेयर आय

प्रतिशेयर मूल्य का निर्धारण, कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित औसत समता अंशों की संख्या (एंटी डाइल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम,

1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय देय है।

स्थगित कर को समय के अंतराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अंतर के कारण जो एक समयाविधि में अर्जित हुए है। जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयाविधियों के लिए की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए की भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियां बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय सम्पत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर हैं तथा कंपनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनीतौर पर लागू करने का अधिकार है।

ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता हैं। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता हैं। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ–हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता हैं।

सम्पत्तियों के क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कंपनी सम्पत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि कोई ऐसा लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कंपनी की सम्पत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उसे संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गए मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गयी संपत्ति के मूल्य का निर्धारिण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह सम्पत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को उसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व – बट्टा दर जो कि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खाते में आय के रूप में माना जाता है।

प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब किसी पूर्व कालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी सम्भावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बहिर्गमन होगा,

जिसके लिए उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा चिट्ठा बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ पैमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक चिट्ठे की तिथि इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक सम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को नोट लगाकर दर्शाया जाता है।

लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनाएं उस संपत्ति के मालिक में निहित होती हैं, तो ऐसे लीज को संचालनात्मक लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

महत्वपूर्ण घटनाएँ

चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

संचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा सम्पत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कंपनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी सम्पत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह रखी है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note : अंश पूँजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ में)	31 मार्च, 2016 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ में)
(a).	**अधिकृत अंश पूंजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	2,000,000	200,000,000	2,000,000	200,000,000
(b)	**जारी की गयी, सदस्यों द्वारा ली गयी और पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	1,533,391	153,339,100	897,689	89,768,900

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iii) देखें :–

नोट्स :–

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कम्पनी ने एक श्रेणी के रू. 100/– अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य सीमित प्रतिफल तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ, समापन पर समता अंशों, संख्याओं तथा अदत्त राशियों का मिलान :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अंशों की संख्या	राशि (₹ में)	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अंशों की संख्या	राशि (₹ में)
	वर्ष/अवधि की शुरूआत के बकाया अंश	897,689	89,768,900	221,990	22,199,000
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	635,702	63,570,200	675,699	67,569,900
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	1,533,391	153,339,100	897,689	89,768,900

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत् एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा किसी भी सदस्य के पास 5% से ज्यादा अंश पूंजी नहीं है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 4 : संचय एवं अधिशेष

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a).	**सामान्य संचय**		
	प्रारम्भिक रहतिया	132,497,431	43,628,876
	जोड़ें लाभ एवं हानि के अधिशेष से अंतरित	3,136,633	88,868,555
	अंतिम शेष	135,634,064	132,497,431
(b)	**लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष**		
	अवधि का लाभ	17,901,060	99,672,929
	घटाएं		
	(i) सदस्यों को प्रस्तावित प्रतिफल	–	8,976,890
	(ii) प्रस्तावित सीमित प्रतिफल पर कर	–	1,827,484
	(iii) सामान्य संचय में अंतरित	3,136,633	88,868,555
	अंतिम शेष	14,764,427	–
	योग (a+b)	**150,398,491**	**132,497,431**

Note 5 : आस्थगित अनुदान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	प्रारम्भिक रहतिया	114,793,988	–
	पूँजी अनुदान वर्ष के दौरान उपयोग (नोट 32 देखें)	128,792,613	147,311,517
	कम : मूल्यह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित पूँजी अनुदान से प्राप्त कर लिया	53,356,905	32,517,529
	अन्तिम रहतिया	**190,229,696**	**114,793,988**

Note 6 : दीर्घकालीन उधारी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	सिक्योर्ड		
	(a) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सावधि ऋण (एनडीडीबी)	172,737,000	137,663,000
	दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्कता (नोट–10)	31,668,450	–
		141,068,550	**137,663,000**

Note

(I) सुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में उपलब्ध कराए गए सुरक्षा के विवरण के रूप में किया जा रहा है

कंपनी का ऋण, वर्तमान और भविष्य की चल संपत्ति पर एक पहला आरोप से सुरक्षित है, बंधक के मामले में और किताब को छोड़कर ऋण बचाने के लिए बनाया है और कंपनी के बैंकरों के पक्ष में पैदा किए जाने से पहले आरोपों के अधीन जैसे कच्चे माल, अर्द्ध तैयार और तैयार माल, उपभोज्य दुकानों और किताब ऋण और इस तरह के अन्य चल संपत्ति के शेयरों केवल व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए ऋण लेने के लिए हासिल करने के लिए ऋणदाता द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(II) दीर्घकालिक उधार की चुकौती की शर्तें इस प्रकार है:

अवधि के ऋण रूपये 17,27,37,000 मंजूर की गई है। ऋण ब्याज किया जाता है / प्रतिवर्ष 9% और ऋण अर्थात पहले संवितरण की तारीख की रिहाई से समझा प्रिंसिपल चुकौती पर 2 साल का एक अधिस्थगन अवधि के साथ 7 साल की अवधि में 60 समान मासिक किश्तों में चुकाया है।

Note 7 : अन्य दीर्घकालिक देयताऐं

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a).	व्यापार/सुरक्षा जमा प्राप्त	85,106,108	58,498,913
		85,106,108	58,498,913

Note 8 : दीर्घकालीन प्रावधान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	9,083,399	4,559,522
	(ii) ग्रेच्युटी हेतु	–	848,882
		9,083,399	5,408,404

Note 9 : लघु अवधि की उधारी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	असुरक्षित बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	868,177,643	996,675,183
		868,177,643	996,675,183

Note 10 : व्यावसायिक देनदारियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a).	व्यावसायिक देनदारियां (स्वीकृतियो को छोड़कर) (See Note 33)	227,352,809	246,535,810
		227,352,809	246,535,810

Note 11 : अन्य चालू दायित्व

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a).	अर्जित ब्याज लेकिन उधारी पर देय नहीं	31,668,450	–
(b)	धन के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त किया प्रतिभूति और वापसी के लिए कारण	9,757,139	13,318,689
(c)	अचल सम्पत्तियों के क्रय हेतु देय	2,986,401	495,170
(d)	लावारिस/अवैतनिक लाभांश	1,308,530	1,952,770
(e)	वैधानिक देय	3,665,133	2,292,279
(f)	व्यावसायिक एवं प्राप्त प्रतिभूति जमायें	187,009	5,859,685
(g)	अनुदान (उपयोग का शुद्ध) (नोट 33 देखें) प्राप्त	–	11,608,088
(i)	ग्राहकों से अग्रिम प्राप्ति	496,648	–
		50,069,310	35,526,681

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 12 : अल्पकालीन प्रावधान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	14,418,859	994,834
	(ii) ग्रेच्युटी हेतु	–	3,086
(b).	आयकर हेतु प्रावधान		15,103,530
(c).	प्रावधान अन्य		
	(i) प्रस्तावित सीमित प्रतिफल हेतु प्रावधान/डिवीडेट	–	8,976,890
	(ii) प्रस्तावित सीमित प्रतिफल हेतु कर प्रावधान	–	1,827,484
		1,418,859	26,905,824

Note 14 : स्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(i).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर सम्पत्तियों का भाग हैं		
	a. प्रतिपूर्ति/ग्रेच्युटी अनुपस्थितियों हेतु प्रावधान	3,472,362	2,217,101
	b. आयकर की धारा 35D के अंतर्गत अस्वीकृत	228,148	358,214
	c. अन्य	171,687	–
		3,872,197	2,575,315
(ii).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर दायित्वों का भाग हैं		
	a. अचल सम्पत्तियों के पुस्तकों के शेष एवं कर शेष में अंतर पर	5,373,384	1,063,587
		5,373,384	1,063,587
शुद्ध स्थगित कर संपत्ति		(1,501,187)	1,511,728

Note 15 : दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
असुरक्षित एवं उचित माने गये			
(a)	**पूंजी अग्रिम**	–	8,187,323
(b)	**जमा प्राप्तियाँ**	3,129,353	2,804,577
(c)	**एडवांस टैक्स (स्त्रोत पर कर कटौती सहित)**	19,942,953	348,820
		23,072,306	11,340,720

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 16 : स्टॉक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	स्टॉक लागत एवं वसूली मूल्य जो कम हो उस पर		
(a)	स्टॉक इन ट्रेड		
	(i) कच्चा दूध	13,497,891	11,048,942
	(ii) पारगमन में कच्चा दूध	12,627,746	22,760,637
	(iii) अन्य व्यापारिक सामग्री	14,508,057	–
	(iv) अन्य उपभोग्य	4,190,382	612,266
		44,824,077	34,421,845

Note 17 : व्यवसायिक लेनदारियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	असुरक्षित एवं उचित माने गए		
(a)	देय तिथि से 6 माह से कम अवधि के लिए बकाया	–	–
	अच्छा माना जाता है	519,273	–
(b)	संदिग्ध माना जाता है	519,273	–
		519,273	–
		–	–
	संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	907,947,854	1,058,433,942
	अन्य	907,947,854	1,058,433,942

Note 18: रोकड़ तथा रोकड़ समान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a).	रोकड़ तथा रोकड़ समान		
	(i) बैंक शेष		
	a) चालू खाते, रोकड़ तथा रोकड़ समान, रोकड़ प्रवाह विवरण AS-3 के अनुसार	166,280,985	15,944,971
		166,280,985	15,944,971
(b).	अन्य बैंक शेष		
	(i) बैंक में जमा, वास्तविक परिपक्वता तिथि से 6 माह अधिक	257,828,204	385,029,687
	(ii) निर्धारित खाते में		–
	अवैतनिक लाभांश खातों में	1,308,530	1,952,770
		425,417,719	402,927,428

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 19 : अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	असुरक्षित एवं उचित माने गये	14,184,786	6,327,554
(a)	विक्रेताओं को अग्रिम	1,549,608	1,186,407
(b)	अग्रिम कर	160,888	202,831
(c)	ऋण और कर्मचारियों को अग्रिम	523,130	57,056
(d)	वैट के अधिकार के साथ संलग्न	6,873,315	–
(e)	प्राप्त अनुदान (नोट 33 देखें)	610,809	–
(f)	ग्रैच्युटी फंड (रू. 2,163,184)	23,902,536	7,773,848

Note 20 : अन्य तरल आस्तियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	असुरक्षित एवं उचित माने गए		
(a)	ग्राहक को अग्रिम	8,739,784	7,636,880
		8,739,784	7,636,880

Note 21 : व्यवसाय से आय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a).	उत्पादों की बिक्री	4,960,675,057	4,894,465,580
		4,960,675,057	4,894,465,580

विक्रय किये गए उत्पाद

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(i)	**व्यावसायिक माल**		
	a) कच्चा दूध	4,799,015,590	4,881,073,608
	b) पॉलीपैक दूध	49,236,911	–
	c) दूध के उत्पाद	23,618,092	–
	d) पशु आहार	71,192,024	8,905,392
	e) वीर्य	17,612,440	4,486,580
		4,460,675,057	4,894,465,580

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 22 : अन्य आय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a)	ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	14,721,337	9,874,471
(b)	गैर व्यावसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	2,910,186	1,289,250
	(ii) विविध आय	1,528,495	944,201
		19,160,018	12,107,922

Note 23 : स्टॉक इन ट्रेड की खरीद

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a)	कच्चा दूध	4,059,524,762	4,144,232,117
(b)	खरीद व्यय	313,534,582	301,431,920
(c)	पॉली पैक दूध	54,705,927	–
(d)	दूध उत्पाद	33,302,734	–
(e)	पशु आहार	64,963,650	8,792,222
(f)	वीर्य	4,884,306	1,414,201
		4,530,915,960	4,455,870,460

Note 24 : तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 समाप्त अवधि पर	31 मार्च, 2016 समाप्त अवधि पर
(a)	वर्ष के प्रारम्भ में रहतिया	34,421,845	21,480,123
(b)	वर्ष के समापन पर रहतिया	38,762,845	34,421,845
		4,341,000)	(12,941,722)

Note 25 : कर्मचारी हित सम्बन्धी खर्चे

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 समाप्त अवधि पर	31 मार्च, 2016 समाप्त अवधि पर
(a)	वेतन एवं मजदूरी	58,822,816	43,510,230
(b)	भविष्य निधि कोष में योगदान	5,059,911	2,853,647
(c)	ग्रेच्युटी खर्चे	–	619,822
(d)	कर्मचारी कल्याण पर व्यय	1,155,585	1,922,896
		65,038,312	48,906,595

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 26 : वित्तीय लागत (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a)	अवधि ऋण	14,862,243	6,651,915
(b)	बिल डिस्काउंटिंग	42,287,892	25,443,740
(c)	सेवा कर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	5,747	5,015
(d)	आयकर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	–	1,246,239
		57,155,882	33,346,909

Note 27 : अन्य व्यय (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a)	स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	27,093,482	23,962,871
(b)	पावर एवं फ्यूल	1,078,627	828,769
(c)	किराया	13,729,359	12,644,712
(d)	दर तथा कर	99,698	790,113
(e)	मरम्मत एवं रखरखाव – भवन	98,155	101,385
(f)	मरम्मत एवं रखरखाव – मशीनरी	14,270,522	10,784,229
(g)	मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	4,232,471	3,289,384
(h)	विज्ञापन एवं व्यवसाय संवर्धन	5,016,960	339,579
(i)	अग्रिम भाड़ा एवं वितरण व्यय	77,388,194	62,361,036
(j)	बीमा व्यय	3,024,824	2,184,539
(k)	अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	16,067,999	14,561,956
(l)	यात्रा एवं परिवहन व्यय	901,801	834,293
(m)	मजदूरी व्यय	13,884,599	9,501,425
(n)	सम्प्रेषण व्यय	57,798,139	36,097,822
(o)	विज्ञापन और व्यापार को बढ़ाने के व्यय	11,540,113	2,828,332
(p)	खराब और संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	519,273	–
(q)	विविध व्यय	7,127,747	4,642,641
		253,871,962	185,753,086

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(i) : अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a)	वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	660,000	600,000
(b)	कर अंकेक्षण शुल्क	110,000	100,000
(c)	कर्मचारियों द्वारा किया गया खर्चा	14,175	25,472
(d)	उपरोक्त कर सेवाकर	117,626	108,821
		901,801	834,293

Note 28 : आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(a)	आकस्मिक देनदारियां	250,000	–
(b)	प्रतिबद्धताएं		
	शेष ठेके की अनुमानित राशि पूँजी खाते पर क्रियान्वित करने के लिए प्रदान नहीं की (रूपये का भुगतान किया अग्रिमों का शुद्ध 81,87,323/– पिछले वर्ष रूपये शून्य)	4,975,000	130,799,603

Note 29 : कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी योगदान योजनाएं

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कंपनी दोनों की पूर्वनिर्धारित योगदान, भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते है। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते है।

कंपनी ने रू0 32,40,914/– (पिछले वर्ष 28,53,647 रू0) की राशि को लाभ हानि खाते में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुस्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनाएं कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गयी सेवाओं के वर्षों तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्युटी योजना हेतु कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परतंत्र के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्युटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(i): निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	वर्ष/अवधि की शुरूआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	851,968	232,146
	ब्याज लागत	61,807	18,340
	वर्तमान सेवा लागत	1,204,722	688,131
	लाभ का भुगतान	(66,656)	
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर घाटा	111,343	(86,649)
	वर्ष के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2,163,184	851,968

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(ii)	**योजना संपत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष की शुरूआत में योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य	–	–
	योजनागत सम्पत्ति पर संभावित लाभ	54,063	–
	अंशदान	2,752,163	–
	लाभ का भुगतान	–	–
	प्लान परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/हानि	(32,233)	–
	वर्ष के अंत में योजना संपत्ति की वापसी	–	–
		2,773,993	–
(iii)	**योजना संपत्ति की वापसी**		
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	54,063	–
	योजना संपत्तियों पर वास्तविक लाभ	–	–
		54,063	–

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
(iv)	**चिट्ठे में स्वीकृत की गयी राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	2,163,184	851,968
	चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/सम्पत्ति	2,773,993	–
		610,809	851,968

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(v) : लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	वर्तमान सेवा लागत	1,204,722	688,131
	वर्ष के दौरान निर्धारित बीमांकिक शुद्ध लाभ/हानि	61,807	18,340
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(54,063)	–
	व्यय लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त	111,343	(86,649)
	लाभ/हानि में स्वीकृत व्यय	1,323,809	619,822

(vi) : चिट्ठे का मिलान (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध दायित्व	851,868	232,146
	उपरोक्तानुसार व्यय	1,323,809	619,822
	योगदान	2,752,163	–
	लाभ का भुगतान	(66,656)	–
	निकासी	32,233	–
		(610,809)	851,968

(vii) : मुख्य बीमांकिक अनुमान (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	बट्टे की दर	7.55% प्रतिवर्ष	7.90% प्रतिवर्ष
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
	योजना सम्पत्तियों पर	8.05% प्रतिवर्ष	–
	संघर्षण दर	13.00% प्रतिवर्ष	13.00% प्रतिवर्ष
	शेष कार्यकारी जीवन	24.76 वर्ष	24.45 वर्ष
	प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	IALM 2006–08 Ultimate	IALM 2006–08 Ultimate

बट्टे की दर चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित बाजार लाभ पर निर्भर करती है।
सामान मुख्य बीमांकिक मान्यताओं का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

(viii) : अनुभव समायोजन (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता का वर्तमान मूल्य	2,163,184	851,968
	योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	2,773,993	–
	पोषित स्थिति	(610,809)	851,968
	प्रतिबद्धताओं पर लाभ/हानि	(111,343)	86,649
	योजना सम्पत्तियों पर लाभ/हानि	–	–

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(ix) : मुख्य बीमांकिक अनुमान (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	बट्टे की दर	7.55% प्रतिवर्ष	7.90% प्रतिवर्ष
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
	योजना सम्पत्तियों पर	–	–
	संघर्षण दर	13.00% प्रतिवर्ष	13.00% प्रतिवर्ष
	शेष कार्यकारी जीवन	24.76 वर्ष	24.45 वर्ष
	प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	IALM 2006–08 Ultimate	IALM 2006–08 Ultimate

लीज व्यवस्था

कंपनी ने कार्यालय भवनों हेतु लीज व्यवस्था की है जो कि आपसी सहमति और शर्तों के आधार पर नवीनीकरण योग्य है। कंपनी ने लीज किराया सम्बन्धी रू. 2101025/– के ग्राहकों का लाभ–हानि खाते में दर्शाया है।

Note 30 : भावी न्यूनतम लीज निम्न प्रकार है। (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	एक वर्ष बाद देय नहीं	4,269,679	2,737,368
	एक वर्ष बाद देय पर पाँच वर्ष बाद देय नहीं	6,650,737	5,702,850
	पाँच वर्ष बाद देय	–	–
		10,920,416	8,440,218

Note 31 : प्रति समता अंश आय (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	Unit	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	17,901,060	99,672,929
	वर्ष के दौरान भारित औसत अर्द्ध समता अंशों की संख्या	संख्या	1,021,831	302,983
	प्रति समता अंश का न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
	प्रति अंश समता मूल आय	रूपये	17.52	328.97
	डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गए समता अंश	संख्या	1,022,050	303,353
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	17.51	328.57

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 32 :

निर्दिष्ट बैंक नोट पर प्रकटीकरण (एस.बी.एन.एस.)

30 मार्च 2017 को बैंक नोट (एस.बी.एन.एस.) के आदेश जी.एस.आर. 308(ई) के अनुसार 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2017 का नगद राशि का विवरण

	एस.बी.एन.एस. रुपये	मजहब रुपये	Total रुपये
(i) 8 नवम्बर 2016 को नकद	–	–	–
(ii) बैंक से निकासी	–	–	–
(iii) गैर अनुमोदित प्राप्तियाँ	8,428,500	–	8,428,500
(iv) अनुमोदित प्राप्तियाँ	–	2,340,091	2,340,091
(v) अनुमोदित भुगतान	–	–	–
(vi) बैंक में जमा धनराशि	8,428,500	2,340,091	10,768,591
(vii) 30 दिसम्बर 2016 को नगद राशि	–	–	–

कंपनी के खाते में ग्राहकों द्वारा सीधा जमा की गई नगद धनराशि। नगद जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र (एस.बी.एन.एस.) बैंक को दे दिया गया।

Note 33 : सरकारी अनुदान का विवरण (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
	अनुदान का विवरण एन.डी.डी.बी. डेयरी सेवाएं और इसके उपयोग से प्राप्त इस प्रकार है:		
	(a) प्रारम्भिक शेष	11,608,088	–
	(b) वर्ष के दौरान प्राप्त	314,920,481	266,379,000
		326,528,569	266,379,000
	(c) पूँजी पर सम्पत्ति के लिये		
	(अ) पूँजीगत सम्पत्ति	128,792,613	130,053,517
	अचल सम्पत्ति	–	9,070,677
	सम्पत्ति इन्सटालेशन के तहत	–	8,187,323
	पूँजी अग्रिम	128,792,613	147,311,517
	(ब) राजस्व खर्च के लिए	204,609,272	107,459,395
	कुल योग (अ) एवं (ब)	333,401,885	254,770,912
	शेष (अ) एवं (ब)	(6,873,315)	11,608,088

Note 34 :

लेखा–मानक AS-18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण ''सम्बन्धित पक्ष प्रकटीकरण'' का विवरण निम्न प्रकार है :–

सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं सम्बन्ध का स्वरूप

सम्बन्ध का स्वरूप (Nature of Relationship)	सदस्य का नाम (Name of Person)
मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	डॉ. ऋषि राज सिंह चीफ एग्जीक्यूटिव

उपरोक्त सम्बन्धित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन–देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है।

Nature of Transactions	KMP	Total
प्रबंधक पारिश्रमिक डॉ. ऋषिराज सिंह	3,274,992 (3,239,934)	3,274,992 (3,239,934)

Note 35 :

प्रबंधक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग अनिधिनम, 2006 (MSMED Act) के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी की कोई भी रही बकाया नहीं है।

Note 36 :

कंपनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से सम्बन्धित है। खण्ड सूचना के लेखा मानकों AS–17 के अनुसार प्रकटीकरण की कंपनी को कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कंपनी एक ''व्यावसायिक गतिविधि'' से सम्बन्धित है तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है।

Note 37 :

कम्पनी ने शेयर के रूप में रूपये 80,19,700 का आवेदन प्राप्त किया था, जो आवंटन 6 महीने के भीतर किया जायेगा।

Note 38 :

गतवर्ष 31 मार्च 2017 के लिये निदेशकों ने अपनी बैठक में जो 16 अगस्त 2017 को हुयी थी जिसमें लाभांश 12,267,128 (रू. 8 प्रति शेयर) लाभांश शेयर धारकों के साधारण सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद दिया जायेगा। इसलिए आर्थिक चिट्ठे में शामिल नहीं किया है। प्रस्तावित लाभांश उन सभी शेयर धारकों को मिलेगा जिन्होंने अपने शेयर अंश का पूर्ण भुगतान किया हुआ है। कुल लाभांश 12,267,128 है और उस पर कर 2,497,299 है।

Note 39 :

पिछली अवधि के आंकड़े फिर से एकजुट कर दिया है / जहाँ आवश्यक चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के साथ अनुरूप करने के लिए पुनवर्गीकृत कर दिया गया है।

कृते निदेशक मंडल

ह./–
महेश चन्द्र
निदेशक

ह./–
डॉ. ऋषिराज सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कंपनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वित्त प्रबन्धक

स्थान : आगरा
दिनांक : 16 अगस्त 2017

Note 13 : अचल सम्पत्ति

	विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
		As at April 1, 2016	Additions	As at March 31, 2017	As at April 1, 2016	Depreciation Charge	As at 31 March, 2017	As at 31 March, 2017	As at 31 March, 2016
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**								
	सयंत्र एवं उपकरण	316,064,390	122,488,070	438,552,461	58,615,065	46,520,310	105,135,375	333,417,086	257,449,325
		(150,595,233)	(165,469,157)	(316,064,390)	(11,419,306)	(47,195,759)	(58,615,065)	(257,449,325)	(139,175,927)
	फर्नीचरण व फिक्सचर	13,780,746	13,895,381	27,676,127	12,269,497	13,942,247	26,211,744	1,464,383	1,511,249
		(1,672,823)	(12,107,923)	(13,780,746)	(35,410)	(12,234,087)	(12,269,497)	(1,511,249)	(1,637,413)
	दफ्तर के उपकरण	3,041,557	742,250	3,783,807	118,263	404,601	522,864	3,260,943	2,923,294
		(282,445)	(2,759,112)	(3,041,557)	(18,926)	(99,337)	(118,263)	(2,923,294)	(263,519)
	कम्प्यूटर	68,394,841	72,828,648	141,223,488	15,091,135	36,963,325	52,054,460	89,169,028	53,303,706
		(4,076,541)	(64,318,300)	(68,394,841)	(439,265)	(14,651,870)	(15,091,135)	(53,303,706)	(3,637,276)
	कुल (A)	**401,281,534**	**209,954,349**	**611,235,883**	**86,093,960**	**97,830,483**	**183,924,443**	**427,311,440**	**315,187,574**
	गत वर्ष	(156,627,042)	(244,654,492)	(401,281,534)	(11,912,907)	(74,181,053)	(86,093,960)	(315,187,574)	(144,714,135)
(b)	नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले अवधि संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।								
	अमूर्त संपत्ति	2,780,196	26,778,917	29,559,113	303,571	4,706,404	5,009,975	24,549,138	2,476,625
	(अन्य स्वयं उत्पन्न की तुलना में)								
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	(–)	(2,780,196)	(2,780,196)	(–)	(303,571)	(303,571)	(2,476,625)	(–)
	कुल (B)	**2,780,196**	**26,778,917**	**29,559,113**	**303,571**	**4,706,404**	**5,009,975**	**24,549,138**	**2,476,625**
	गत वर्ष	–	(2,780,196)	(2,780,196)	–	(303,571)	(303,571)	(2,476,625)	–
	(A+B+C)	**404,061,730**	**236,733,266**	**640,794,996**	**86,397,531**	**102,536,887**	**188,934,419**	**451,860,578**	**317,664,199**

नोट :

(i) मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	31 मार्च, 2017 को स्थिति	31 मार्च, 2016 को स्थिति
मूर्त संपत्ति	97,830,483	74,181,053
अमूर्त संपत्ति	4,706,404	303,571
कम मूल्य ह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित अनुदान से प्राप्त कर लिया	53,356,905	32,517,529
	49,179,982	**41,967,095**

(iii) पूँजी अनुदान से खरीदी और टेबल के ऊपर नीचे दिए गए हैं में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण (ध्यान दें 32 देखें):

	विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
		As at April 1, 2015	Additions	As at April 31, 2016	As at April 1, 2016	Depreciation Charge	As at 31 March, 2017	As at 31 March, 2017	As at 31 March, 2016
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**								
	सयंत्र एवं उपकरण	69,003,612	64,836,389	133,840,001	11,313,231	11,299,786	22,613,017	111,226,984	57,690,381
	फर्नीचरण व फिक्सचर	2,712,852	519,930	3,232,782	63,168	281,880	345,048	2,887,735	2,649,684
	दफ्तर के उपकरण	12,107,923	13,794,206	25,902,129	12,107,923	13,794,206	25,902,129	–	–
	कम्प्यूटर	46,229,130	49,564,272	95,793,402	9,033,207	25,642,903	34,676,110	61,117,292	37,195,923
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		17,423,075	17,423,075	–	2,338,131	2,338,131	15,084,944	–
	योग	**130,053,517**	**146,137,872**	**276,191,389**	**32,517,529**	**53,356,905**	**85,874,434**	**190,316,955**	**97,535,988**

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा शनिवार 16 सितम्बर, 2017 को पूर्वाहन 11:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू, ताज ईस्ट गेट रोड, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में निम्न कार्यों के लिए होगी ।

1. **31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (आर्थिक चिट्ठा लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं नोट्स जो खातों का हिस्सा है) उन पर अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को पारित करना।**

   '' प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं नोट्स जो खातों का हिस्सा है) उन पर अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को एतद् द्वारा अपनाया जाता है।''

2. **कंपनी की समता अंश पूँजी के सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना।**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी रूपये 8/– प्रति समता अंश की दर से वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए देने का अनुमोदन किया जाता है। इसका भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2017 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. **विचारोपरान्त श्री शिव प्रताप की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अर्न्तनियम के अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581 ZA के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों को या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. 07894230) जो श्रेणी स का प्रतिनिधित्व करते है को एतद्द्वारा कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

4. विचारोपरान्त श्री रजनीश कुमार की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अर्न्तनियम के अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581 ZA के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों को या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री रजनीश कुमार (डी.आई.एन. 07894245) जो श्रेणी स का प्रतिनिधित्व करते है को एतद्द्वारा कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

5. वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तय करने के लिये विचार एवं अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना।

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, गुड़गाँव, हरियाणा जिनका आई.सी.ए.आई. पंजीकरण संख्या–101496 डब्ल्यू है एवं जो हमारे सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक हैं, उनकी पुनः नियुक्ति वैधानिक अंकेक्षक के रूप में, रूपये 7.40 लाख (रूपये सात लाख चालीस हजार) वार्षिक पारिश्रमिक एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ चतुर्थ आम सभा की समाप्ति से लेकर पाँचवी आम सभा की समाप्ति तक पुनः नियुक्त किया जाता है।''

6. कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना।

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581 एस (1) (ए) प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 का बजट, एतद्दारा अनुमोदित किया जाता है।''

विशेष प्रस्ताव

7. विचारोपरान्त कंपनी के अर्न्तनियमों में संशोधन के लिए मंजूरी देना तथा विशेष प्रस्ताव पारित करना।

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 581–I, 581–ZQ, 581–ZR तथा धारा 31 सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनः–अध्यादेश) के साथ कंपनी के बर्हिनियम एवं अर्न्तनियमों के लागू होने वाले वर्तमान कंपनी अर्न्तनियमों को जहाँ तक सम्भव हो सकें निम्न प्रकार से संशोधन किया जा सकता है।

(1) वर्तमान अनुच्छेद 4.3 को रूपान्तरित करके पढ़ा जाये।

4.3 ii इसके अतिरिक्त सदस्यता को जारी रखने के लिए सदस्य योग्य नहीं है, यदि

(अ) सदस्य जो किसी भी प्रकार का व्यावसायिक हित रखता हो जो कंपनी के व्यवसाय के लिए अनुकूल न हो।

(ब) कोई भी सदस्य किसी ऐसे कृत्य में शामिल हो जो कंपनी के व्यापार के लिए हानिकारक है या जो कंपनी की हित और प्रतिष्ठा को क्षतिग्रस्त कर सकता है।

पुनः निर्णय लिया जाता है कि मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक तथा कंपनी सचिव एतद्द्वारा पृथक रूप से आवश्यक फार्म कंपनी पंजीयक के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, मुद्दों तथा वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लिए
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या– ए26119

दिनांक : 16 अगस्त, 2017
स्थान – आगरा

टिप्पणी –

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है, को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखाकर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है। तथा इस प्रतिनिधि (Proxy) के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है।

2. इस प्रकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए प्रोक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरह से भरकर, स्टॉम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे से पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रोक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।

3. प्रतिनिधी वार्षिक आम साधारण सभा में भाग लेने के लिए, संलग्न वार्षिक रिपोर्ट एवं उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip) विधिवत भरकर लाने की कृपा करें।

4. आगामी वार्षिक आम सभा कंपनी के तीसरे वित्तीय वर्ष 2016–17 की चतुर्थ वार्षिक आम सभा है। मतदान का अधिकार प्रत्येक सदस्य के लिए एक वोट के आधार पर होगा, जिसमें 2016–17 के वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

5. जो सदस्य कंपनी के परिचालन से सम्बन्धित या खातों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने प्रश्नों को वार्षिक साधारण सभा के 7 दिन पूर्व कम्पनी सचिव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारियां उन्हें आम सभा में उपलब्ध करायी जा सके।

6. कंपनी की वार्षिक आम साधारण सभा में सदस्यों के निरीक्षण के लिए निदेशकों के हिस्सेदारी के रजिस्टर जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 307 के अन्तर्गत बनाये गये हैं, प्रतिनिधियों के रजिस्टर एवं सदस्यों के हिस्सेदारी का विवरण उपलब्ध होगा।

7. व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) मद संख्या 7 के लिए सूचना पत्र के साथ संलग्न है।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि अपने पते के परिवर्तन को पिन कोड सहित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तुरन्त सूचित करें।

9. इस सूचना में बताये गये दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक विवरण को कार्य दिवसों में प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक निरीक्षण किया जा सकता है।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियो संख्या एवं सोलह अंकों का सदस्यता कोड अवश्य लिखें।

11. सीमित आय (लाभांश) का भुगतान उन सदस्यों को ही होगा जिनका नाम 31 मार्च, 2017 तक कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित होगा। नये सदस्यों का नाम जो 31 मार्च, 2017 के बाद एवं वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में अंकित है उन्हें सीमित आय (लाभांश) नहीं मिलेगा।

12. सदस्यों को एतद् दारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 205 ए के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए यदि सीमित आय (लाभांश) की राशि को उसकी घोषणा से सात वर्षों तक दावा/नकदीकरण नहीं किया गया है, तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education and Protection Fund) में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। इस राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में हस्तान्तरित कर देने के पश्चात् किसी भी तरह का दावा नहीं किया जा सकता है।

13. निम्नलिखित दस्तावेज सूचना पत्र के साथ संलग्न है –

अ. उम्मीदवारों की योग्यता विवरण जिन्होंने निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव भेजा है।
ब. व्याख्यात्मक विवरण।
स. तृतीय वार्षिक साधारण सभा की कार्यवृत्ति, जो दिनांक 10 सितम्बर, 2016 को आयोजित की गई।
द. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणी, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिर्पोट के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट।
य. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बजट।
र. प्रतिनिधि फार्म (Proxy Form) एवं उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581 ZA (4C) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, उम्मीदवारों की योग्यता का विवरण जिन्होंने निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव भेजा है–

मद संख्या – 3 और 4

निदेशक पद के लिए उम्मीदवारों के नाम	पेशा	योग्यता
श्री शिव प्रताप	कृषक एवं पशुपालक	इण्टरमीडिएट
श्री रजनीश कुमार	कृषक एवं पशुपालक	कला स्नातक

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लिए
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या– ए26119

दिनांक : 16 अगस्त, 2017
स्थान – आगरा

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)
(सूचना पत्र में दी गई मद संख्या 7 से सम्बन्धित)

सदस्यों में अनुशंसा लाने के लिए तथा इन मजबूत और सशक्त उत्पादक कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक है कि कंपनी अपने को उन भारी सदस्यों से सुरक्षित करे जो कंपनी की प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वह सदस्य जो ऐसी कुरीतियों को जन्म देते हैं, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, कंपनी ने वार्षिक आम सभा में कंपनी के बहिर्नियमों में संशोधन कर उन्हें और सशक्त बनाने का निर्णय लिया है।

इसलिए प्रस्तावित परिवर्तनों का विवरण प्रारूप विशेष संकल्प में किया गया है, जिसमें बहिर्नियमों में कुछ नये अनुच्छेद को शामिल किया जा रहा है तथा वर्तमान अनुच्छेदों में कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं।

सदस्यों को पुनः सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत धारा 581–I (1) के अनुसार बहिर्नियमों में किया गया कोई भी संशोधन दो तिहाई निदेशकों तथा कंपनी की वार्षिक आम सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा एक तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना अनिवार्य है।

कपंनी के कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनसे सम्बन्धित कोई भी रिश्तेदार, किसी भी तरह से इस प्रस्ताव में रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 7 में वर्णित विशेष प्रस्ताव निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तथा सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए नोटिस में भी लिखा जायेगा।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के लिए
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या– ए26119

दिनांक : 16 अगस्त, 2017
स्थान – आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की तृतीय वार्षिक आम सभा जो शनिवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2016 को 11:30 बजे होटल क्लार्क शिराज, 54 ताज रोड, आगरा–282001 उत्तर प्रदेश, भारत में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्य सूची का विवरण इस प्रकार है।

बैठक में उपस्थित सदस्य –

1.	श्री महेश चन्द्र	अध्यक्ष एवं अंशधारक
2.	श्री दिग्विजय सिंह	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री शिव सिंह	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री चन्द्र पाल सिंह	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री मुरारी लाल	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री हरपाल सिंह	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री जवाहर लाल	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्रीमती अखिलेश	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्रीमती सुनीता	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्री अनिल कुमार	निदेशक एवं अंशधारक
12.	श्री ऋषिराज सिंह	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
13.	श्री ओमवीर सिंह	विशेष आमंत्रित
14.	श्री श्रीराम सिंह	विशेष आमंत्रित
15.	श्री वरूण वर्मा	कंपनी सचिव

तृतीय वार्षिक आम सभा की तिथि तक कुल 60,602 सदस्य है।

सदस्य उपस्थित : 20,784

सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित : 279

सदस्य प्रतिनिधि रूप से उपस्थित : 20,505

1. श्री महेश चन्द्र ने बैठक की अध्यक्षता की तथा रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेन्ट के कोरम पूर्ण होने की घोषणा के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. कम्पनी की तृतीय वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया गया।

3. कोरम पूर्ण पाये जाने पर अध्यक्ष ने सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घदृष्टि के साथ सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की।

4. श्री वरूण वर्मा ने घोषणा की, कि निदेशक मण्डल की समता अंश पूँजी के विवरण का रजिस्टर, प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों की समता अंश पूँजी का रजिस्टर जाँच के लिए सभा के प्रवेश द्वार पर उपस्थित है अथवा जो सदस्य उसे जाँचना चाहें, वह जाँच सकते है।

5. सर्व सम्मति से तृतीय वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका था, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

6. अपने संदेश को अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित और अन्य सदस्यों को बताया।

7. सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये अध्यक्ष महोदय की सलाह पर, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की।

बैठक में निम्नांकित व्यापार के बारे में चर्चा की गई।

1. **31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं नोट्स जो खातों का हिस्सा है) उन पर अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव का अनुमोदन करना।**

   श्री धीरज कुमार (फोलिया संख्या–22797) ने निम्नलिखित मद संख्या 1 को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

   प्रस्ताव संख्या : 01/तृतीय वार्षिक आम सभा : 10–09–2016/16–17

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं नोट्स जो खातों का हिस्सा है) उन पर अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट एतद्द्वारा अपनाया जाता है।''

   श्री राजेश सिंह (फोलियो संख्या : 46512) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. **विचार करके कम्पनी के समता अंश पूंजी पर सीमित आय (लाभांश) की घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।**

श्री अरूण कुमार (फोलिया संख्या : 24635) ने निम्नलिखित मद संख्या 2 को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 02/तृतीय वार्षिक आम सभा : 10.09.2016/2016–17

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2016 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लाभ में से सीमित आय (लाभांश) रूपये 10/– प्रति समता अंश जिसका मूल्य 100/– रूपये प्रति अंश है के हिसाब से, एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि यह लाभांश उन सदस्यों को मिलेगा जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में 31 मार्च, 2017 तक अंकित है।''

श्री कप्तान सिंह (फोलिया संख्या : 43788) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. **श्री दिग्विजय सिंह (डी.आई.एन.नं. 06963747), जो चक्रीय क्रम से इस वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे एवं पुन: नियुक्ति के लिए योग्य हैं, उनकी पुन: नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।**

श्री रंजीत सिंह (फोलिया संख्या : 06763) ने निम्नलिखित मद संख्या 3 को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 03/तृतीय वार्षिक आम सभा : 10.09.2016/2016–17

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री दिग्विजय सिंह (डी.आई.एन. नं. 06963747) कम्पनी के पहले निदेशक, जो इस तृतीय वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होकर योग्यतायें पूरी करते हुये अपने आप को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं। एतद्द्वारा उन्हें कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्ति के लिये उत्तरदायी हैं।''

श्री खूबचन्द (फोलिया संख्या : 07240) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. **श्री चन्द्रपाल सिंह (डी.आई.एन.नं. 06964687) जो चक्रीय क्रम से इस वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे एवं पुन: नियुक्ति के लिये योग्य हैं, उनकी पुन: नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।**

श्री विनोद कुमार (फोलिया संख्या : 37914) ने निम्नलिखित मद संख्या 4 को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 04/तृतीय वार्षिक आम सभा : 10.09.2016/2016–17

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री चन्द्रपाल सिंह (डी.आई.एन. नं. 06964687) कम्पनी के पहले निदेशक जो इस तृतीय वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिये प्रस्तावित करते हैं। एतद्द्वारा उन्हें कम्पनी के निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त के लिए उत्तरदायी हैं।''

श्रीमती कमलेश कुमार (फोलिया संख्या : 37997) के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा, जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. **श्री मुरारीलाल (डी.आई.एन. नं. 06966195) जो चक्रीय क्रम से इस वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे एवं पुन: नियुक्ति के लिए योग्य है, उनकी पुन: नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।**

श्री राजवीर सिंह (फोलियो संख्या 18152) ने निम्नलिखित मद संख्या 5 को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या 05/तृतीय वार्षिक आम सभा : 10.09.2016/16–17

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री मुरारीलाल (डी.आई.एन. नं. 06966195) कम्पनी के पहले निदेशक जो इस तृतीय वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिये प्रस्तावित करते हैं। एतद्द्वारा उन्हें कम्पनी के निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त के लिए उत्तरदायी हैं।''

श्री वेदराम (फोलिया संख्या 30291) के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा, जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. **वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तय करने के लिये विचार एवं अनुमोदन करना।**

श्री अनिल (फोलिया संख्या : 29454) ने निम्नलिखित मद संख्या 6 को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 06/द्वितीय वार्षिक आम सभा : 10.09.2016/2016–17

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कं. चार्टड एकाउण्टेण्ट, गुड़गाँव, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या : 101496W) को रूपये 6 लाख 60 हजार (छः लाख साठ हजार) पारिश्रमिक एवं लागू होने वाले सेवाकर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ तृतीय आम सभा की समाप्ति आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।''

श्री सत्यप्रकाश (फोलियो संख्या : 35803) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. **कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट पर विचार कर उसका साधारण प्रस्ताव से अनुमोदन करना।**

श्री वीरेन्द्र पाल सिंह (फोलिया संख्या : 18954) ने निम्नलिखित मद संख्या 7 को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 07/तृतीय वार्षिक आम सभा : 10.09.2016/2016–17

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581 एस (1) (ए) वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

श्री मनीष कुमार (फोलिया संख्या : 41374) के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को बैठक में वोट के लिये रखा गया एवं हाथ उठाकर सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया।

8. **श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. नं. 07464066) को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना जो चक्रीय क्रम से सेवा निवृत्त होंगे।**

श्री पंकज शर्मा (फोलियो संख्या : 20434) ने मद संख्या 8 को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 08/तृतीय वार्षिक आम सभा : 10.09.2016/2016–17

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. 07464066) जिन्हें कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 9.7(1) के अनुसार दिनांक 16 मार्च, 2016 को अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम सभा की बैठक की तारीख तक इस पद को धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और योग्यता को पूरा करते हुए स्वयं को इस पद के लिए प्रस्तावित करते हैं, एतद्द्वारा कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है जो कि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

श्री पान सिंह (फोलियो संख्या : 31066) के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को बैठक में वोट के लिये रखा गया एवं हाथ उठाकर सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया।

9. **विचारोपरान्त परिभाषित मानदण्डों पर आधारित निम्नलिखित रूप से साधारण द्वारा बोर्ड पर रिक्त पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करने के लिए नामांकन समिति के गठन के लिए मंजूरी देना।**

श्री रोहन सिंह (फोलियो नं. 58885) ने मद संख्या 9 को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 09/तृतीय वार्षिक आम सभा : 10.09.2016/2016–17

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भाग IX–A सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और ज्ञापन–पत्र व कंपनी अंतर्नियमों के अनुच्छेदों के लागू प्रावधानों के आधार पर नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा–निर्देश एतद् द्वारा अंगीकृत व स्वीकृत किये जाते है (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनः– अध्यादेश अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सकें) जो कि इस प्रकार है–

(i) बोर्ड कम्पनी के बोर्ड में उत्पादक–सदस्य निदेशक के रिक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार के लिए नामों का सुझाव बोर्ड को प्रदान करने हेतु सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'' का बोर्ड एक ''नामांकन समिति'' का गठन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन माह में करेगा।

(ii) बोर्ड के उत्पादक निदेशकों के रिक्त पदों (श्रेणी ए, बी और श्रेणी सी के अन्तर्गत) की घोषणा कंपनी के बोर्ड के निदेशक मण्डल द्वारा की जायेगी/नामांकन समति द्वारा चयन किये गये सदस्यों को नोटिस द्वारा आमंत्रित करेगी। उन सदस्यों के विषय में कंपनी के नोटिस बोर्ड, वेबसाईट और साधारण डाक द्वारा उनके स्थायी निवास स्थान पर सूचना भेजी जायेगी, जिनकी रिक्ति की घोषणा की गई है।

(iii) अनुच्छेद के तहत् बोर्ड ऐसे सदस्यों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

(iv) ''नामांकन समिति'' निम्नलिखित सारणी में पात्र प्रार्थी हेतु प्रत्येक मानदंड के सामने दिए गए प्रार्थी के योग्यता अंकों पर विचार करेगी।

प्रार्थी की योग्यता हेतु अंक मानदंड	अधिकतम अंक
पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को दुग्ध आपूर्ति के दिनों की संख्या अंक निम्न प्रकार से होंगे : (95% या अधिक दिन – 25, 85% से < 95% दिन – 20, 75% से < 85% – 15, 65% से < 75% – 10, 55% से < 65% – 5, < 55% 0)	25
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार शेयर पूँजी अभिदान वास्तविक आवश्यकता के 10% से कम नहीं होना चाहिए।	10
अवधि के दौरान कंपनी को स्व–घोषणा एवं कंपनी के द्वारा अनुवर्ती सत्यापन के आधार पर सम्पूर्ण आधिक्य की आपूर्ति करना (यानि किसी प्रतियोगी/संचालक को दुग्ध आपूर्ति नहीं की है।	10
सदस्य अर्हता निरन्तर बनाए रखी (पिछले वर्षों के लिए प्रति वर्ष 3 अंक)	15
प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम आवश्यक योग्यता से कहीं अधिक – स्नातकों के लिए – 10 और स्नातक से आगे – 15) न्यूनतम योग्यता अंतर्नियमों के अनुच्छेदों के अनुसार होगी।	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भाग लिया – उत्पादक / महिला जागरूकता (5 अंक) वीसीजी के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम (5 अंक)/एमआरजी (5 अंक)/ सहज (एसएमपीसीएल) के बोर्ड निदेशकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर (15 अंक)	15
कम्पनी के सदस्य के रूप में कोई पुरस्कार या सम्मान प्राप्त किया हो जैसेकि सदस्य/वीसीजी/ एमआरजी आदि के लिए उत्कृष्ट आईबी पुरस्कार/प्रार्थी सहज ने बोर्ड निदेशकों में निदेशक के रूप में कार्य किया हो (एसएमपीसीएल) (5 अंक)	5
स्वैच्छिक सेवा के लिए सम्मान प्राप्त किया हो (दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर)	5
कुल	100

(v) बोर्ड द्वारा गठित की गई 'नामांकन समिति' में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे –

(i) सदस्यता की श्रेणी से बोर्ड का उत्पादक – सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्तता पैदा हुई है बशर्ते ऐसा उत्पादक सदस्य निदेशक उस वार्षिक आम सभा से सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य न हो। अगर एक से अधिक उत्पादक – सदस्य निदेशक योग्य होते हैं तो ड्रा ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के द्वारा एक नामांकन समिति सदस्य को चुना जायेगा। अगर उस श्रेणी से कोई उत्पादक–सदस्य निदेशक उपलबध नहीं है, तो कोई अन्य उत्पादक–सदस्य निदेशक को ड्रा ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के द्वारा चुना जायेगा।

(ii) एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास हेतु बहुत कार्य किया हो, और

(iii) कम्पनी बोर्ड का एक विशेषज्ञ निदेशक।

कम्पनी का कम्पनी सचिव 'नामांकन समिति' को अपना सहयोग प्रदान करेगा और नामांकन समिति की सभा के लिखित कार्य विवरणों सहित उसके सभी दस्तावेजों को संभालने के लिए उत्तरदायी होगा।

(vi) 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की दिनांक से लेकर उसके द्वारा कम्पनी बोर्ड को अपने सुझाव भेजने की दिनांक तक होगा।

(vii) बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों को चुनने के लिए 'नामांकन समिति' के द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी देगा।

''पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मण्डल को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, संदेह व समस्याओं को अपने स्वतंत्र विवेकानुसार निष्पादन करने के लिये अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

श्री अशोक (फोलियो संख्या 33824) के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को बैठक में वोट के लिए रखा गया, एवं हाथ उठाकर सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया।

10. विचारोपरान्त कंपनी के अर्न्तनियमों में संशोधन के लिए मंजूरी देना तथा विशेष प्रस्ताव पारित करना।

श्री राजवीर सिंह (फोलियो संख्या 25979) ने मद संख्या 10 को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 10/तृतीय वार्षिक आम सभा : 10.09.2016/2016–17

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 581–I, 581–ZQ, 581–ZR तथा धारा 31 सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनः– अध्यादेश) के साथ संभव हो सकें, निम्न प्रकार से संसोधन किया जाता है।

1. अनुच्छेद 4.5 में उप अनुच्छेद (iii) के तुरन्त बाद ''अन्य भुगतान'', शीर्षक के साथ निम्नलिखित नये उप अनुच्छेद (iv) को रखा जाये।

अन्य भुतान :

(iv) कंपनी बोर्ड द्वारा निर्धारित विशेषताओं व सीमा एवं प्रकार तथा शर्तों के अनुरूप प्रोत्साहन राशि का

भुगतान कर सकती है।

2. वर्तमान अनुच्छेद 8.1 को हटाया जाये एवं नीचे दिए गये अनुच्छेद 8.1 को रूपान्तरित करके पढ़ा जाये।

यह आश्वस्त होने पर कि कोई सदस्य, सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रहा तो बोर्ड उस सदस्य को अपने अंश कंपनी को सम मूल्य पर या किसी भी अन्य मूल्य पर अंशों के आत्म समर्पण के लिए कह सकता है।

3. वर्तमान अनुच्छेद 9.7 (i) और (ii) को हटाया जाये और नीचे दिये गए अनुच्छेद 9.7 को रूपांतरित करके पढ़ा जाये।

किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए बोर्ड अतिरिक्त निदेशक या निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है जो अतिरिक्त निदेशक या निदेशकों की नियुक्ति होगी वो अगली वार्षिक आम सभा तक नियुक्त होंगे या उससे कम समय तक यदि बोर्ड तय करता है।

4. वर्तमान अनुच्छेद 9.18 (ii) I को पुनरसंख्याकित करके अनुच्छेद 9.18 (ii) M पढ़ा जाये और निम्नलिखित नये अनुच्छेद 9.18 (ii) I को पुनरसंख्याकित करके अनुच्छेद 9.18 (ii) M से तुरन्त पहले रखा जाये।

अनुच्छेद 9.18 (ii) को इस प्रकार पढ़ा जाये :

अंतरिम बजट का अनुमोदन जो बजट का अभिन्न हिस्सा होगा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जायेगा।

पुनः निर्णय लिया जाता है कि मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक और कंपनी सचिव को एतद् द्वारा पृथक रूप से आवश्यक फॉर्म कम्पनी पंजीयक के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, मुद्दों तथा वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

श्री अजय शर्मा (फोलियो संख्या 10699) के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को बैठक में वोट के लिए रखा गया, एवं हाथ उठाकर सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया।

11. अन्य कोई कार्यक्रम नहीं होने के कारण, अध्यक्ष महोदय ने सभा समाप्ति की घोषणा की, सभा 13.00 पूर्वान्ह पर समाप्त हुई

महेश चन्द्र
अध्यक्ष
ह./–

तिथि : 8 अक्टूबर, 2016
स्थान : आगरा

डी.आई.एन. 06965523

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

वित्तीय वर्ष 2017–18 का बजट

आयगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2017–18
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम/दिन	4.60
परिचालन से आय	रुपये लाखों में	69,358.70
कुल आय	रुपये लाखों मे	69,584.48
(ब) व्यय		
दुग्ध की लागत	रुपये लाखों में	59,963.42
स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	9,149.02
कुल व्यय	रुपये लाखों में	9,149.02
कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी) (अ–ब)	रुपये लाखों में	449.09
टर्न ओवर पर लाभ का प्रतिशत	प्रतिशत (%)	0.65

पूँजीगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2017–18
कारखाना और मशीनरी	रुपये लाखों में	4
कम्प्यूटर और प्रिंटर	रुपये लाखों में	95
कुल पूँजी मद	रुपये लाखों मे	99

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या : | | | | | | |

सदस्य कोड :
(16 अंकों का) | | | | | | | | | | | | | | | | |

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की शनिवार, 16 सितम्बर 2017 को पूर्वान्ह 11:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू ताज ईस्ट गेट रोड, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली चतुर्थ वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

अंश धारक का नाम :	
प्रतिनिधि (Proxy) का नाम : (यदि प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहा है तो)	

सदस्य/प्रतिनिधि* के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान
* जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)

फोलियो संख्या : | | | | | | |

सदस्य कोड : (16 अंकों का) | | | | | | | | | | | | | | | | |

मैं ..... निवासी .....

..... सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का सदस्य

एतद् द्वारा श्री/श्रीमती ..... फोलियो संख्या | | | | | | |

निवासी ..... और उनकी अनुपस्थिति में

श्री/श्रीमती ..... फोलियो संख्या | | | | | | |

निवासी ..... को कम्पनी की शनिवार, 16 सितम्बर, 2017 को पूर्वान्ह 11:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू, ताज ईस्ट गेट रोड, आगरा–282001, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली चतुर्थ वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ।

रु. 1/–
का रेवेन्यू
टिकट

सदस्य के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

दिनांक : .....

नोट : ध्यान रहे कि प्रॉक्सी फॉर्म को ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में पहुँचना आवश्यक है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है।

नोट्स

नोट्स

सहज™

सहज सुदाना अपनाने के फायदे

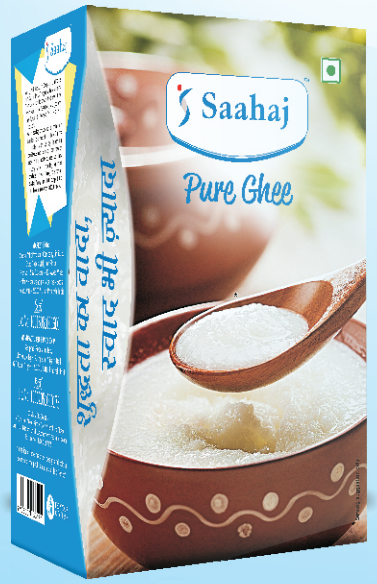

सहज शुद्ध दानेदार देशी घी

सहज मिन अपनाने के फायदे

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय :– क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना सिकन्दरा बोदला रोड, आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

(प्राप्तकर्ता को प्राप्त न होने पर उक्त पते पर वापस भेंजे)